1 रु० कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1 रु० कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार चायल
जनपद कौशाम्बी।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि ग्राम काजीपुर, परगना व तहसील चायल की आ0सं0- 9क व 9ख व 20 ख, व 16 व 10 व 15 पर उत्थान सेन्टर - फारसस्टेनेबिल डेवलेपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन द्वारा संचालित विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी स्थित है । उक्त नम्बरान आपस में संयुक्त रूप से लगे हुए हैं ।

प्रार्थना

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को संयुक्ता प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

रा० नि०
जाँचोपरान्त नियमानुसार नजरी- नक्शा के साथ आख्या दें
15/7/17
Tel (C)

दिनांक :- 13.07.2017ई0

प्रार्थी K.K.Tewari
के० के० तिवारी
(के0के0 तिवारी)
सचिव
उत्थान सेन्टर फारसस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन इलाहाबाद।

महोदय,
ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के वर्तमान अभिलेख खतौनी 1421-1426 फ० के खातासंख्या 20 पर उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन [illegible] द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० राम्बुन्द तिवारी नि० म० नं० 102 जी/3 कैण्टोंगंज इलाहाबाद दर्ज है जिसमें गाटा नं० 9क, 9ख व 20 ख व 16 व 10 तथा 15 आपस में मिले हुए हैं तथा संचालित विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल काजीपुर में स्थित है। रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा संलग्न है।
15/7/17
[stamp: illegible] राजस्व निरीक्षक [illegible]

अग्रसारित
15/7/17

महोदय
ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जिला कौशाम्बी की गाटा सं० 9 क, 9 ख व 20 क व 16 व 10 तथा 15 पर उत्थान सेन्टर फारसस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन द्वारा संचालित विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल काजीपुर स्थित है। तथा उपरोक्त गाटे इनके नाम अभिलेख में अंकित है। तथा उपरोक्त गाटे संयुक्त रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आख्या सेवा में प्रेषित है।
15-7-17 (शिवा[illegible])
उप जिलाधिकारी
D.K. Singh (C)
[stamp: कार्यालय तहसीलदार चायल कौशाम्बी]

नकल आकार पत्र ४१ मौजा काजीपुर

मानचित्र

ग्राम- काजीपुर

परगना व तहसील- चायल

जनपद- कौशाम्बी

चकबन्दी १४१६ फसली

अनुसार २०१०-२०११ ई०

पैमाना- फीटप्रति = २० मीटर

(8 920)

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 16056720170717

ग्राम क्रमांक : 160567 ग्राम का नाम / परगना : काजी पुर(चायल) तहसील : चायल जनपद : कौशाम्बी फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार मे हो।							
00020	उत्थान सेण्टर फार सस्टेनेबिल / स्व0 शम्भूनाथ तिवारी / नि. म0न0	1418फ	9क	0.1743		देखो आदेश च0अ0 वाद स0 149/838/27.11.09	
	102जी/3बेनीगज इलाहाबाद	1418फ	16	0.3195		खाता स0 169 पर दर्ज है।9-9-10	
	डेबलपमेण्टएण्डपावर्टीएलीविएशन / . / .	1418फ	20क	1.4173			
	18ए आकलैण्ड रोड द्वारा / . / .	1418फ	21	0.0342			
	सचिव कौशल कुमार तिवारी / . / .	1418फ	22क	0.3360			
		1418फ	23	0.1216			
		1418फ	24	0.3034			
		1418फ	27क	0.0480			
		1418फ	30क	0.1495			
		1418फ	31क	0.2933			
		1418फ	54	0.0906			
		1418फ	66	0.2910			
		1418फ	67	0.0600			
		1418फ	10	0.0342			
		1418फ	15क	0.0340			
			15	3.7069	₹199.03	1	0

(0921)

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 16056720170718

ग्राम क्रमांक : 160567 ग्राम का नाम / परगना : काजी पुर(चायल) तहसील : चायल जनपद : कौशाम्बी फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनॉक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00022	उत्थान सेण्टर फार सस्टेनेबिल / शम्भनाथ तिवारी / नि. 102जी/3बेनीगंज इलाहाबाद डेबलपमेण्ट एण्ड पावर्टी एली / . / . वेशन 18ए आक लैण्ड रोड / . / . द्वारासचिव कौशलकुमारतिवारी / . / .	1418फ	9ख	0.2416 ✓		1423फ0 न्यायालय उप0जि0 चायल कौ0 वाद स0 6 ता0फै0 26-12-15 धारा 143 ज0वि0अधि0 उत्थान सेन्टर बनाम सरकार आदेश हुआ कि मौजा काजीपुर की खतौनी 1421-1426फ0 की आ0स0 9क/0.1743हे व 9ख/0.2416हे व 16/0.3196हे व 20क/1.4173 व 10/0.0342हे व 15क/ 0.034हे पर अंकित उत्थान सेन्टर फर सस्टेनेबिल डेबलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिवियेशन 18ए आक लैण्ड रोड इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी की भूमि अकृषिक घोषित की जाती है। 27-12-15	
			1	0.2416	₹20.54	2	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव दो चार एक छ: (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो शून्य दशमलव पाँच चार रुपये

Data Digitally Signed by: BHIM SEN

सक्षम अधिकारी: NAJMUJ HASAN
तहसील: चायल जनपद: कौशाम्बी
दिनांक एवं समय: 20-07-2017 11:54:52

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

328...

I.886/2005 — 10

0 IDD 472398

1211/9क

18/1/16

K Khewal स्वामी फोटो प्रमाणित किया

विक्रय पत्र

हम कि जितेन्द्र कुमार पुत्र मोहन लाल व भारत भूषण पुत्र रुपचन्द्र निवासीगण ग्राम महमूदपुर मनौरी, परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी के भारतीय नागरिक हैं एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के

Bharat Bhushan   K Khewal

फा० ग्राम

कार्यालय कौशाम्बी

दनांक 18/11/08 .... 25000/- -

इकोला [illegible] 16580/- — मधुबन सं० 22 [illegible] डेवलपमेन्ट [illegible]

18A [illegible] रोड

[illegible] 2 [illegible]

[illegible] शुल्क उजरत [illegible] यान [illegible] — [illegible]

श्रीमती/श्री ..... कौशल कुमार तिवारी

पत्नी/पुत्र श्री ..... [illegible] तिवारी

निवासी 102 [illegible]

के [illegible] पूर्वाह्न [illegible] जिला

[illegible] ओमप्रकाश [illegible]

[illegible] प्रस्तुत किया।

KKtewari

[illegible]

उप निबन्धक [illegible] 08/08/08

कौशाम्बी

लेख पत्र का आशय सुनने व समझने व

[illegible] प्रतिफल [illegible] का निष्पादन एवं

[illegible] 16580/- [illegible] 13 [illegible]

[illegible]

[illegible] कुमार [illegible] पुत्र [illegible]

[illegible] कौशल कुमार तिवारी

[illegible]

पहचान [illegible] आनन्द देव तिवारी

पुत्र श्री ..... मोहन [illegible] तिवारी

निवासी ..... 230 [illegible]

नाम श्री ..... [illegible] कुमार [illegible]

पुत्र श्री ..... [illegible]

निवासी .....

[illegible]

[illegible]

उप निबन्धक [illegible] 08/08/08

कौशाम्बी

[illegible]

KKtewari

Bharat Bhushan

01DD 472399

नही है।

विदित हो कि मुकिरान भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेख पत्र में दिया जा रहा है के मालिक काबिज़ दखील व संक्रमणीय भूमिधर है जो हर प्रकार के भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त है। मुकिरान को अपने निजी व्यय व तरक्की कारोबार के लिये रुपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के रुपया मिलने की दूसरी सूरत नही दिखलाई पड़ रही है लिहाज़ा मुकिरान अपनी राज़ी व खुशी से बिला

कोषागार कौशाम्बी

क्रमांक- 1.01.14.07 ... दिनांक ... 2-5-2007

नाम उत्थान सेन्टर फॉर सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलीविएशन

पता 18A [illegible] रोड

[illegible signature]

मुख्य कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी सहायक कोषाधिकारी
कौशाम्बी

18/12

Anand Dev Tripathi

B Kumar [illegible]

[illegible] ... किसी भी व्यक्ति
रहित होती है ... विभाग ...
किए गये।

[illegible signature]

उप निबंधक ...
[illegible] कौशाम्बी

01DD 472400

3

किसी के बहकाये व फुसलाये दुरुस्त होश हवास में स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवज मुबलिग रु0 16,58,000/– (रु0 सोलह लाख अठ्ठावन हज़ार) जिसका आधा मुबलिग रु0 8,29,000/– (रु0 आठ लाख उन्तीस हज़ार) होता है बदस्त बहक उत्थान सेन्टर फॉर सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एन्ड पावर्टी एलीवियेशन, 18.–ए, ऑकलैण्ड रोड, इलाहाबाद, द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ तिवारी निवासी 102 जी0/3 बेनीगंज, इलाहाबाद के हाथ बेचा व वय कामिल किया। क्रेता से हमें कुल जरसमन मुबलिग सोलह लाख अठ्ठावन हज़ार रुपया जरिये चेक संख्या ———

Bharat Bhushan KKTewari

कौशाम्बी

दिनांक 18/12/08 समय 2 बजे

नाम उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन

पता 18A [illegible] रोड जि०

मु० चि० अधि० / उप चिकित्साधिकारी सहायक रोक्षमा
कौशाम्बी

18/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 456304

037769 रु0 आठ लाख उनतीस हज़ार व चेक संख्या 037770 रु0 आठ लाख उनतीस हज़ार कुल रु0 सोलह लाख अठ्ठावन हज़ार मात्र जो यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, करैली शाखा इलाहाबाद के माध्यम से प्राप्त हो चुका है अब हमारा क्रेता के जिम्मे कुछ भी पाना बाकी नही रहा। यही तहरीर निसबत वसूलयावी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदागाना लिखने की जरुरत नही है। जायदाद बिकी हुई पर से हमने अपना कब्ज़ा व दखल हटा लिया है और मिस्ल अपने मालिकाना तौर से क्रेता को काबिज व दखील करा दिया है अब बवजह लिखदेने दस्तावेज़ हाजा बहक खरीदार जायदाद बिकी हुई में हमारा व हमारे वारिसान व कायम मुकामान का कोई भी हक व हिस्सा कब्ज़ा

दिनांक 18/12/08 5000/- - -

नाम उत्थान से-22 भाग सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एंड पावर्टी एलीवियेशन

पता 18A आफिसर्स रोड

सहायक जी द्वारा

18/12

1000Rs.

23 FEB 2008
कौशाम्बी

व दखल बाकी नही रहा आज की तारीख से जायदाद बिकी हुई का तनहा मालिक काबिज दखील व संक्रमणीय भूमिधर क्रेता हुआ उसको हक हासिलहै कि बावत जायदाद बिकी हुई जो जो तसर्रुफात मालिकाना चाहे अमल में लावे और नाम अपना दर्ज कागज़ात सरकारी करा लेवें अगर जायदाद बिकी हुई बवजह नुक्स मिलकियत या फेलवेजा हम मुकिरान या दावेदारी किसी दीगर शख्स के क्रेता के कब्ज़ा व दखल से निकल जाये जिससे कि क्रेता का नुकसान व खिसारा होवे तो ऐसी सूरत में क्रेता को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल जरसमन मय नुकसान व खिसारा मेरी जात व जायदाद मनकूला व गैरमनकूला जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवें इसमें

10/11408 — 100/-

[illegible]

18/A [illegible]

सहायक रोकड़िया

18/12

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

FEB 2008

कौशाम्बी

6

मुकिरान व मुकिरान के वारिसान व कायम मुकामान को कोई उज्र व एतराज न होगा। बिक्रित भूमि कृषि भूमि है एवं संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। बिक्रित भूमि विकसित क्षेत्र के ग्रामों की सूची में सम्मिलित है बिक्रित भूमि वक्फ, ट्रस्ट, नजूल, पट्टा, सीलिंग व गाँव सभा की भूमि नही है बिक्रित भूमि का आज के पूर्व कोई भी इकरारनामा, बैनामा, रेहननामा, आदि नही हुआ है। बिक्रित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूर है तथा लिन्क मार्ग से भी सौ मीटर से भी अधिक दूर है।

कोषागार कौशाम्बी

दिनांक 10/12.08 ... [illegible] ... 1000/-

नाम 3 सेन्टर फार अल्टरनेटिव डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन

द्वारा ...

18A [illegible]

[illegible]

मुख्य कोषाधिकारी [illegible] सहायक को० [illegible]

कौशाम्बी

10/12

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

लिहाज़ा यह बैनामा कत्तई लिख दिया कि सनद रहें और वक्त जरुरत पर काम आवें।

<u>तफसील जायदाद मुवैया</u>

हुकूक भूमिधरी वाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराज़ी नम्बर–44 (चौवालिस) रकबा 0.445 हेक्टेयर (जीरो दशमलव चार सौ पैतालिस हेक्टेयर) व आराजी संख्या –12/1 (बारह बटा एक) रकबा –0.207 हेक्टेयर (जीरो दशमलव दो सौ सात हेक्टेयर) व आराजी 9 क

1743

Bharat Bhushan KK Dwivedi

कोषागार कौशाम्बी

दिनांक— 18.12.08 रु 500

नाम उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन

पता 18-A आकलैण्ड रोड इलाहाबाद

18/12

100Rs.

संख्या –18/1 (अठ्ठारह बटा एक) रकबा–0.160 हेक्टेयर (जीरो दशमलव एक सौ साठ हेक्टयर) व आराजी संख्या –23/1 (तेईस बटा एक) रकबा –0.017 हेक्टेयर (जीरो दशमलव जीरो सत्तरह हेक्टेयर) जुमला चार गाटा कुल रकबा –0.829 हेक्टेयर (जीरो दशमलव आठ सौ उन्तीस हेक्टेयर) बलगानी तीस रुपया सालाना कुल सोलह आना मुवैया। बिक्रित आराजी संख्या चौवालिस की चौहद्दी – पूरब आराज़ी संख्या उनचास। पश्चिम आराज़ी संख्या अठ्ठाइस एवं उनतीस। उत्तर आराज़ी संख्या पैतालिस, छियालिस व सैतालिस तथा दक्षिण आराजी

[illegible] : [illegible]शाखा
क्रमांक – 19-12-08
नाम – [illegible]
पृष्ठ .... 100 ....
ठा. – 18 A [illegible]
[illegible] सहायक [illegible]
10/12

100Rs.

संख्या तैतालिस है। आराज़ी संख्या बारह बटा एक के पूरब आराज़ी संख्या बाईस। पश्चिम खेत अन्य व्यक्ति। उत्तर आराज़ी संख्या दस व दक्षिण खेत अन्य व्यक्ति तथा आराज़ी संख्या अठ्ठारह बटा एक की चौहद्दी जानिब पूरब अन्य व्यक्ति की भूमि। पश्चिम आराज़ी संख्या तेरह एवं सत्तरह। उत्तर आराज़ी संख्या बाईस व दक्षिण अन्य व्यक्ति की भूमि तथा आराजी संख्या तेईस बटा एक की चौहद्दी पूरब आराज़ी संख्या चौबिस। पश्चिम आराजी संख्या बाइस। उत्तर आराज़ी संख्या चौबिस। दक्षिण आराज़ी संख्या चौबिस है। बिक्रित भूमि की सरकारी मालियत दो सौ रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मुबलिग रु0 16,58,000/– (रु0 सोलह लाख अठ्ठावन हज़ार) होती है जिस पर स्टाम्प

18-12-09   २ ..../३३---

नाम उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी

पता 36 [illegible] 18A [illegible] रोड, इलाहाबाद।

[illegible]
10/12

100 Rs.

27 MAY 2008

शुल्क अदा किया जा रहा है। धारा 157 ए लागू नही होती है, उ0 प्र0 स्टाम्प सम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमावली 1997 के नियम 27 का अक्षरशः पालन किया गया है तथा प्रपत्र छः तथ्यात्मक सत्य पर आधारित है उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या स0 वि0 क0 नि0 5–2756 / 11–2008–500 (183) 2007 दिनांक 30 जून 2008 के तहत स्टाम्प में कमी की गई है इसी के अनुसार स्टाम्प शुल्कपाँच प्रतिशत की दर से अदा किया जा रहा है।

[illegible] पावती

दिनांक 18-12-08 [illegible] 150 [illegible]

नाम ઉત્થાન [illegible]

पता 18 A [illegible] અમદાવાદ

[illegible] सहायक [illegible]

10/12

ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जिला कौशाम्बी

नोट :– बिक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग व राजमार्ग व जनपदीय मार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूर है तथा लिन्क मार्ग से भी सौ मीटर से अधिक दूर है । बिक्रित आराजी में कोई निर्माण व वृक्ष नही है । कृषि भूमि है। संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

Bharat Bhushan

K Klewel

100 Rs.

लेखपत्र में एवं संलग्न नजरी नक्शा में जो तथ्य उल्लिखित किया गया है वह सत्य एवं सही है और विक्रेता गण एवं क्रेता की जानकारी में है यदि इसमें कोई कमी पाई जाती है तो हम मुकिरान व क्रेता इसके जिम्मेदार होगें।

गवाह नम्बर – 1 वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय शम्भू नाथ तिवारी
102 जी/3 बेनीगंज इलाहाबाद

गवाह नम्बर – 2 सुनील कुमार मिश्र S/o स्व० गया प्रसाद मिश्र (Sunil)
पता - 188 A/4 राजरूपपुर इला०

मसविदाकर्ता : Dhara Singh Advocate (धारा सिंह, एडवोकेट)

टाईपकर्ता : [signature] (मोहम्मद इमरान खान)

दिनांक : 09–05–2009

[illegible] Bharat Bhushan KKTewari

[illegible]

(R)

(1)

दिनांक 18-12-08 ... नामा

नाम इन्वेन्टर ... [illegible]

धारा [illegible] 18 A [illegible]

सहायक रोजकिया

10/12

मुकदमा नम्बर 17/7.9.09 [illegible]

ता॰ फैसला 15.10.09

अन्तर्गत धारा 12 [illegible]

06-06-08

319 / 340

I

453

886/2008

I. 2102/2008

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

[redacted] [redacted]

उत्तर प्रदेश UT[redacted]SH E 646612

अजय कुमार गुप्ता तारा गुप्ता

विक्रय-पत्र

हमकि अजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामजी व श्रीमती तारा गुप्ता पत्नी स्व0 रामजी निवासीगण ग्राम महमूदपुर मनौरी परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के भारतीय नागरिक हैं। तथा अनु0 जाति व अनु0जन जाति के नही हैं।

विदित हो कि मुकिरान भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र मे दिया जा रहा हैके मालिक काबिज दखील व संक्रमणीयभूमिधर है जो हर प्रकारके भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त हैं

अजय कुमार गुप्ता तारा गुप्ता KKTewari

531 ... 5000) 18-11-05

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविऐशन 18 मा...
लैण्ड रोड शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी
पुत्र शम्भु नाथ तिवारी
102 जार्जटाउन... व

150000
288000

स्टाम्प ... इलाहा...

5000 20 5020 ...

... मुल्क़ा यानि इसका समय

श्रीमती/श्री ... कौशल कुमार तिवारी

पत्नी/पुत्र श्री ... शम्भु नाथ तिवारी

निवासी 102 जार्ज टाउन इलाहाबाद

ने ... किया

... 18.11.05 ... 2

के मध्य मध्य ... किया।

KKTewari

उप निबन्धक चायल 18.11.05

... पत्र का ...

पश्चात प्रस्तुत ...

बाजित ... 150000

पूर्ण तथा ...

प्रस्तुत श्री ...

... ने स्वीकार किया

... पत्नी ... निवासिनी ... कौशल कुमार तिवारी ...

... पहचान श्री ... योगेन्द्र कुमार

पुत्र श्री ... राम कृष्ण

निवासी ...

तथा श्री ... धर्म सिंह

पुत्र श्री ...

निवासी ...

... कौशाम्बी ने की।

उप निबन्धक चायल 18-11-05
कौशाम्बी

... तारा गुप्ता KKTewari योगेन्द्र कुमार

Dharm Singh

... का ... के ...
... होते हैं ...
... गये।

उप निब...
कौशाम्बी

18-11-05

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA [redacted]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 646611

/2/

मुकिरान को अपने निजी व्यय व खर्च खानगी आदि के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के रूपया मिलने की दूसरी सूरत दिखलाई नहीं पड़ रही है लिहाजा मुकिरान अपनी राजी व खुशी से बिला किसी के बहकाये व फुसलाये दुरुस्त होश हवास मे स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवज मुबलिग- 1,50,000/-रूपया (मुबलिग एक लाख पचास हजार-रूपया) जिसका आधा मुबलिग-75,000/-रूपया (मुबलिग पचहत्तर-हजार रूपया) होता है बदस्त बहक उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन 18 आक लैण्ड रोड शहर इलाहा-

532 5000/ 18-11-09

द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

अरविन्द कुमार

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

/3/

बाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्रस्व0 शम्भूनाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर 102 जी/3 बेनीगंज शहर इलाहाबाद के हाँथबेंचा व वय कामिल किया। क्रेता से हमे कुल जरसमन मुबलिग एक लाख पचास हजार रूपया कब्ल तहरीर व तकमील दस्तावेजहाजा मिल चुका है अब जिम्मे क्रेता बावत जरसमन हमारा कुछ भी बाकी नही रहा। यहीतहरीर निसबत वसूलयावी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदागाना लिखने की जरूरत नहीहै। जायदाद बिकी हुई पर से हमने अपनाकब्जा व दखल उठा लिया है और मिस्ल अपने मालिकानातौर से क्रेता को काबिज व दखील करा दिया है अब बवजह लिख देने दस्तावेजहाजाबहक क्रेता जायदाद बिकी हुई मे हमारा व हमारे वारिसान व कायम मुकामान का कुछ भी हक व हिस्सा कब्जा व दखल बाकी नही रहा। आज की तारीख से

अजयकुमार शुक्ला   तारागुप्ता   KKTewari

प्रेमशंकर

क्र० 385 मूल्य 1000 दिनांक 18/11/0[illegible]

नाम द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

पुत्र/पत्नी स्व० शम्भुनाथ तिवारी

पता 72 जी/3 बेनीगंज [illegible]

तहसील सदर जिला इला०

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
लक्ष्मी नारायण केसरवानी
स्टाम्प विक्रेता
तहसील चायल कौशाम्बी
ला० 152

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

सत्यमेव जयते

भारत

Rs 1000

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

/4/

जायदाद बिकी हुई का तहत मालिक काबिज दखील व संक्रमणीयभूमिधर क्रेता हुआ उसको हक हासिल है कि बावत जायदाद बिकी हुई जो जो तसरूफात मालिकाना चाहे अमल मे लावे और नाम अपना दर्ज कागजात सरकारी करा लेवे अगर जायदाद बिकी हुई बवजह नुक्स मिलकियत या फेलबेजाहम मुकिरान या दावेदारी किसी दीगर सख्श के क्रेता के कब्जा व दखल से निकल जावे जिससे कि क्रेता का नुकसान व खिसारा होवे तो ऐसी सूरत मे क्रेताको हक हासिल होगाकि वह अपनाकुल जरसमन मय नुकसान व खिसारा हमारी जात व जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे इसमे मुकिरान व मुकिरान के वारिसान व कायम मुकामान को कोई उज़ वएतराज न होगा। बिक्रित भूमि कृषि भूमि है एवंसंस्था प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। बिक्रित भूमि मे कोई निर्माण व वृक्ष नहीं है। बिक्रित भूमि बिकसित क्षेत्र

अनन्य कुमार गुप्ता — तारा गुप्ता — KRewah

निजाम (R)

क्र० 386 मूल्य 1000/- दिनांक 18/11/09
द्वारा सचित कौशल कुमार त्रिपाठी द्वारा भेजा।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

/5/

मे स्थित है। बिक्रित भूमि वक्फ, ट्रस्ट, नजूल, सीलिंग, पट्टा व गाँवसभा की सम्पत्ति नही है। बिक्रित भूमि का आज के पूर्व कोई इकरारनामा, बैनामा आदि नही हुआ है। बिक्रित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जनपदीयमार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूर है तथा लिंकमार्ग से सौ मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। खातेदार रामजी पुत्र संगम लाल मृतक हैं मुकिरान ही मृतक के कानूनी व जायज वारिसान है। हम लोगो के अलावा अन्य कोई वारिसान नही हैं।

लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद् रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

अजय कुमार गुप्ता   तारा गुप्ता   KKLewah

निशान

सं० ३४७ मूल्य १०००) दिनांक १४।।।७९
द्वारा श्री चन्द्र कौशल कुमार तिवारी हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण केशरवानी
लक्ष्मी नारायण केशरवानी
पुस्तक विक्रेता
मा० नं० ४२

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

/6/

तफसील जायदाद मुबैया

हुकूक भूमिधरी बाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजी नम्बर-12 (बारह) रकबा-0.287 हे0 (जीरो-दशमलव दो सौ सत्तासी हे0) बलगानी बीस रूपया चौवन पैसासालाना का 1/2 (एक बटा दो) भाग हिस्सा मुकिरान अपना कुल विक्रय किया। बिक्रित रकबा-0.144 हे0 (जीरो दशमलव एक सौ चौवालिस हे0) है। बिक्रित भूमि की चौहद्दी उत्तर- आराजी नम्बर दस, दक्षिण- आराजी नम्बर तेरह व चौदह, पूरब- आराजीनम्बर बाईस व चकमार्ग, पश्चिम-

क्र० 388 मूल्य 1000/ दिनांक 18/11/69
द्वारा ... हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण कुशवाहा,
ग्राम्य विक्रेता।
पश्चीम पायक कौशाम्बी
डा० पं० 2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 725257

06 NOV

/7/

आराजी नम्बर सात है। बिक्रित भूमि बिकसित क्षेत्र मे स्थित है। बिक्रित भूमि की सरकारी मालियत दो सौ रूपया प्रतिवर्गमीटर की दर से मुबलिग-2,88,000/-रूपया (मुबलिग दो लाख अठ्ठासी-हजार रूपया) होतीहै जिस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जारहाहै।

अजित कुमार गुप्ता

तारा गुप्ता KKLewal

फैज़ल

(R)

क्र० 389 मूल्य 100 दिनांक 18/11/09
द्वारा सचिव कौशलकुमार त्रिपाठी प्राप्त हुआ।

लक्ष्मी नारायण [illegible]
लक्ष्मी नारायण [illegible]
[illegible]
तहसील चायल कौशाम्बी
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 725258

06 NOV 2008

/8/

धारा 157ए लागू नही होती है। उ0प्र0 स्टाम्प सम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमावली 1997 के नियम 27 का अक्षरशः पालन किया गया है तथा प्रपत्र 6 तथ्यात्मक सत्य पर आधारित है। उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या स0वि0क0नि0 5-6328/11-2008-500(165)/2007 दिनांक दो जनवरी सन् 2009 के तहत स्टाम्प शुल्क अदा किया

सं० 390 मूल्य १००) दिनांक 18/11/09
नाम द्वारा सचिव [illegible] द्वारा बेचा।

लक्ष्मी नारायण [illegible]
[illegible] देवहारा,
[illegible]
तहसील [illegible]
ग्रा० सं० 2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 725259

जाता है। लेखपत्र मे एवं संलग्न नजरी नक्शा मे जो तथ्य उल्लिखित किया गया है वह सत्य एवं सही है और हमारी जानकारी मे है यदि इसमे कोई कमी पायी जाती है तो इसकी जिम्मेदारी हम मुकिरान

क्र० 391 मूल्य 100/ दिनांक 18/11/09

नाम [illegible] द्वारा बेचा।

लक्ष्मी नारायण [illegible]

लक्ष्मी नारायण [illegible]

स्टाम्प विक्रेता

[illegible]

ला० नं० 2

नजरी नक्शा ग्राम काजीपुर परगना व तहसील- चायल
जिला- कौशाम्बी बाबत आराजी संख्या 12 रकबा 0.287 हे०

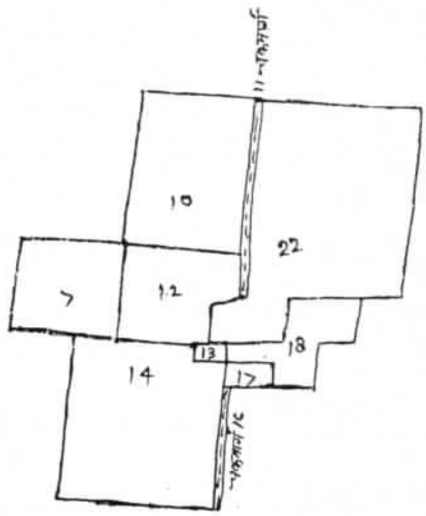

विक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग
से दो सौ मीटर से अधिक दूर है लिंक मार्ग से भी सौ मीटर
से अधिक दूर है निर्माण वृक्ष नही है संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय
की जा रही है, भूमि कृषिक है।

अजयकुमार खत्री — तारा गुप्ता — KKTewari

अजयकुमार खत्री — तारा गुप्ता — KKTewari

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 725260

/10/

व क्रेता की होगी एवं राजस्व की भरपाई करेंगें। 0 6 NOV 2009

कोषा...

गवाह नं0 1 :- योगेश कुमार पुत्र स्व0 राम कुमार निवासी हुसैनमऊ परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी। योगेश कुमार

गवाह नं0 2 :- धारा सिंह एडवोकेट, तहसील चायल जनपद कौशाम्बी। Dhara Singh Advocate

मसविदाकर्ता :- Dhara Singh Advocate ﴾धारा सिंह एडवोकेट﴿

टाइपकर्ता :- Subhash Kumar ﴾सुभाष कुमार﴿

दिनांक- 18-11-2009 ई0

अनिल कुमार मित्तल तारा गुप्ता K.K.Tewari

फै0 2110

(R)

0 3912 मूल्य 100 18/11/09

द्वारा अधिवक्ता कौशाम्बी द्वारा लेखा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
स्टाम्प विक्रेता
तहसील चायल कौशाम्बी
ला० नं० 2

मुकदमा नम्बर 26 ए.सी.ओ. कौशाम्बी 30.12.09
तारीख फैसला 6.2.2010

आज दिनांक 18.11.09 को
बही पुस्तक संख्या I
के पृष्ठ 191 / 210
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया। 4803 / 8102 / 09
उप-निबन्धक
चायल कौशाम्बी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच ह

E THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR

Z 530430

विक्रय-पत्र

1. भूमि का प्रकार --------------कृषि भूमि
2. वार्ड परगना------------------चायल-तहसील चायल
3. मोहल्ला/ग्राम-----------------ग्राम-काजीपुर
4. सम्पत्ति का विवरण -----------आ0नं0-9 ख
5. मापन की इकाई --------------हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल-------------बिक्रित रकबा-0.1208 हे0
7. सड़क की स्थिति---------------कुछ नही
8. अन्य विवरण -----------------×
9. सम्पत्ति का प्रकार-------------कृषि भूमि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल---------×
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल---------×

क्र० 385 मूल्य 5000/- दिनांक 10/12/07

नाम उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन 18A

पुत्र/पत्नी आफ्लैण्ड रोड इला० द्वारा सचिव [illegible] कुमार तिवारी पुत्र शम्भूनाथ तिवारी

पता म०नं० 102 जवाहिरगंज [illegible]

तहसील सदर जिला इलाहाबाद

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
स्टाम्प विक्रेता
[illegible]
ला० सं० 1

[illegible] शुल्क उजरत [illegible] योग [illegible]

श्रीमती/श्री [illegible] कुमार तिवारी [illegible]

पत्नी/पुत्र श्री शम्भूनाथ तिवारी

निवासी 102 [illegible]

ने कार्यालय उप निबन्धक [illegible] जिला

कौशाम्बी आज दिनांक 20/12/07 [illegible]

के मध्य मय आया प्रति प्रस्तुत किया।

KKTewari

उप निबन्धक चायल, कौशाम्बी

[illegible] की संविदा [illegible] के पश्चात प्रस्तुत लेख का [illegible] एवं प्राप्ति अंकन रु० [illegible]

पूर्ण तथा [illegible]

उक्त श्री [illegible] ने स्वीकार किया

[illegible]

[illegible] कुमार तिवारी [illegible] 300 [illegible]

जिनकी पहचान श्री [illegible] कुमार [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

तथा श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

जिला कौशाम्बी ने की।

Rawtha [illegible]

KKTewari

उप निबन्धक चायल
कौशाम्बी

[illegible]

Sunil Kumar Mishra

[illegible]

उप निबन्धक चायल
कौशाम्बी

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

02 NOV 2011

/2/

12. स्थिति-फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य-------x

13. पेड़ो का मूल्यांकन----------x

14. बोरिंग/कुँआ/अन्य----------x

15. निर्मित क्षेत्रफल-------------x

16. निर्माण का वर्ष-------------x

17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है ----x

18. प्रतिफल की धनराशि --------मुबलिग-2,75,000/-रूपया

मनकि जवाहर लाल पुत्र जगन्नाथ निवासी मकान नम्बर-36 सुलेमसराय परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद का भारतीय नागरिक हूँ एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का नही हूँ। ---प्रथमपक्ष विक्रेता।

व

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन 18 ए आकलैण्ड रोड इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ -

क्र० 346 मूल्य 5.00 दिनांक 8/12/?

[illegible] द्वारा [illegible] कुमार तिवारी [illegible]

लक्ष्मी नारायण [illegible]

लक्ष्मी नारायण [illegible]

ग्रन्थ विक्रेता

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 NOV 2011

कौशाम्बी

Z 530431

/3/

तिवारी निवासी मकान नम्बर-102 जी/3 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ।   ---द्वितीयपक्ष क्रेता ।

विदित हो कि मुकिर भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र मे दिया जा रहा है का मालिक काबिज दखील व संक्रमणीयभूमिधर है जो हर प्रकार के भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त है मुकिर को अपने निजी व्यय

Rawahun

KKTewari

फौशल

(R)

क्र० 1012 मूल्य 5000/- दिनांक 17/12/11

नाम द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

पुत्र/पत्नी स्व० शम्भू नाथ तिवारी

पता 102डी/3 बैनीगंज परगना —

तहसील सदर जिला इलाहाबाद

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

तहसील चायल कौशाम्बी

ला० नं० 3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04 NOV 2011

K 724846

कौशाम्बी

2

/14

व खर्च खानगी आदि के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्न-लिखित को विक्रय करने के रूपया मिलने की दूसरी सूरत दिखलाई नही पड़ रही है लिहाजा मुकिर अपनी राजी व खुशी से बिना किसी के बहकाये व फुसलाये

Rawahen Lal

KKlewech

राम

(R)

पा० उ ... मूल्य 1000) दिनांक 13/12/11

दयाल सिंह कौशल कुमारी ... [illegible]

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

व्याख्याता शिक्षा

राजकीय ... कौशाम्बी

... सं० 7

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 814724

/5/

दुरूस्त हौश हवास मे स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवज मुबलिग- 2,75,000/-रूपया (मु0 दो लाखपचहत्तर हजार रू0) जिसका आधा मुबलिग- 1,37,500/-रूपया (मु0 एक लाख सैतीसहजार पाँच सौ रू0) होता हैबदस्तबहक उत्थान सेन्टर फार सस्टेनैविल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन 18एआकलैण्डरोड़

नं० ५१५ मूल्य १००) दिनांक ७/१२/११,

नाम द्वारा सच्चिन कौशल कुमार [illegible] [illegible]

लक्ष्मी नारायण देवासानी

लक्ष्मी नारायण देवासानी

स्टाम्प विक्रेता

[illegible] [illegible] कौशाम्बी

ला० नं० ३

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.   Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये   FIVE HUNDRED RUPEES

02 NOV 2011

/6/

इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर 102 जी/3 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद के हाथ बैंया व बय कामिल किया। क्रेता से मुझे कुल जरसमन मुबलिग दो लाख पचहत्तर हजार-रूपया जरिये चेक नम्बर 128817 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा करैली इलाहाबाद दिनांक 20-12-2011 ई0 के माध्यम से कब्ल तहरीर व तकमील दस्तावेजहाजा मिल चुका है अब जिम्मे क्रेता बाबत जरसमन मेरा कुछ भी बाकी नही रहा। यहीतहरीर निसबत वसूलयाबी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदागाना लिखने की जरूरत नही है। जायदाद बिकी हुई पर से मैने अपना कब्जा व दखल उठा लिया है और मिस्ल अपने मालिकाना तौर से क्रेता को काबिज व दखील करा दिया है अतः बवजह लिख देने दस्तावेजहाजा बहक क्रेता जायदाद बिकी हुई मे मेरा व मेरे वारिसान व कायम मुकामान का कुछ भी हक व हिस्सा कब्जा व दखल बाकी नही रहा। आज की तारीख से जायदाद बिकी हुई का तनहा मालिक काबिज दखील व संक्रमणीयभूमिधर क्रेता हुआ

३४४ मूल्य 500 दिनांक 10/12/11
द्वारा भेंट।
लक्ष्मी नारायण
आम्र विक्रेता
कौशाम्बी
[illegible]

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

उसको हक हासिल है कि बाबत जायदाद बिक्री हुई जो जो तसर्रुफात मालिकाना चाहे अमल मे लावे और नाम अपना दर्ज कागजात सरकारी करा लेवे अगर जायदाद बिक्री हुई बवजह नुक्स मिलकियत या फेलबेजा मुझ मुकिर या दावेदारी किसी दीगर सख्श के क्रेता के कब्जा व दखल से निकल जावे जिससे कि क्रेता का नुकसान व खिसारा होवे तो ऐसी सूरत मे क्रेता को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल जरसमन मयनुकसान व खिसारा मेरी जात व जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे इसमे मुकिर व मुकिर के वारिसान व कायम मुकामान को कोई उज्र एवं एतराज न होगा। बिक्रित भूमि कृषि भूमि है एवं संस्था के कृषि प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। बिक्रित भूमि मे कोई निर्माण व वृक्ष नही है। बिक्रित भूमि विशिष्ट क्षेत्र मे स्थित है। बिक्रित भूमि वक्फ, ट्रस्ट, नजूल, सीलिंग, पट्टा व गांवसभा की सम्पत्ति नही है। बिक्रित भूमि का आज के पूर्व कोई इकरारनामा, बैनामा आदि नही हुआ है। बिक्रित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, जनपदीयमार्ग से तीन सौ मीटर से अधिक दूर है तथा लिंकमार्ग, आबादी व खड़जामार्ग से भी दो सौ मीटर से अधिक

क्र० 385 मूल्य 500 दिनांक 13/12/11

द्वारा सचिन कौशल कुमार त्रिपाठी के हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण के० [illegible]

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
स्टाम्प विक्रेता
तहसील चायल कौशाम्बी
ला० नं० 8

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

दूरी पर स्थित है।

लिहाजा यह बैनामा करतई लिख दिया कि सनद् रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें ।

तफसील जायदाद मुबैया

हुकूक भूमिधरी वाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजी नम्बर-9ख (नौ ख) रकबा-0.2416 हे0 (जीरो दशमलव दो चार एक-छः हे0) बलगानी बीस रूपया चौवन पैसा सालाना का 1/2 (एक बटा दो) भाग हिस्सा मुकिर मुबैया । बिक्रित रकबा-0.1208 हे0 (जीरो दशमलव एक दो-जीरो आठ हे0) है। बिक्रित भूमि की चौहद्दी उत्तर-आराजी नम्बर सात व दक्षिण- आराजी नम्बर-ग्यारह ,पूरब- चकमार्ग ,पश्चिम- आराजी नम्बर सातहै। बिक्रित भूमि की सरकारी मालियत पाँच लाख रूपया प्रति एकड़ की दर से मुबलिग-

क्र० 350 मूल्य 5000 दिनांक 13/1/81

द्वारा श्री [illegible] को [illegible] बेचा।

लक्ष्मी नारायण अग्रवाल

लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
स्टाम्प विक्रेता
तहसील सदर कौशाम्बी
ला० नं० 1

कौशाम्बी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 814726

1, 62, 000/-रूपया § मु0 एक लाख बासठ हजार रूपया § होती है किन्तु खरीदारी मुबलिग-2, 75, 000/-रूपया § मु0 दो लाख पचहत्तर हजार रूपया § होती है जिसपर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है । धारा 157ए लागूनहीहोतीहै।उ0प्र0

[illegible] पा० मूल्य 100 दिनांक 31/2/
[illegible] द्वारा सचिन कौशल कुमार तिवारी [illegible] देखा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

तहसील चायल कौशाम्बी

ला० नं० 3

नजरी नक्शा ग्राम- काजीपुर परगना व तहसील
चायल जिला- कौशाम्बी बाबत आराजी संख्या- 9

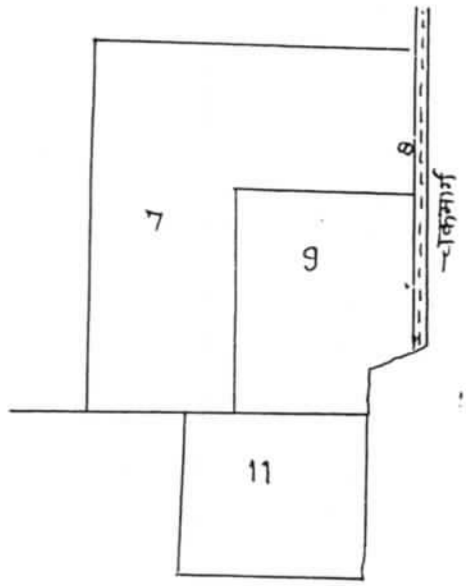

विक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग से तीन सौ मीटर से अधिक दूर है लिंकमार्ग आबादी व खडन्जा मार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूर है कृषि भूमि है कोई निर्माण व वृक्ष नही है संस्था के कृषि प्रयोजन हेतु क्रय किया गया है।

कौशाम्बी

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.　　Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये　FIVE HUNDRED RUPEES

02 NOV 2011

/10/

1, [illegible]

[illegible]

स्टाम्पसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमावली 1997 के नियम 27 का अक्षरशः पालन किया गया है तथाप्रपत्र 6 तथ्यात्मक सत्य पर आधारित है। उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या स0वि0क0नि0 5-6328/11-2008-500 (165)/2007 दिनांकदो जनवरी सन् 2009 के तहत स्टाम्प शुल्क अदा किया जाताहै। लेख पत्र मे एवं संलग्न नजरी नकशा मे जो तथ्यउल्लिखित किया गया है वह सत्य एवं सही है और हमारी जानकारी मे है यदिइसमे कोई कमी पाई जाती है तो

Rewahn ...　　KKLewah

[illegible]　　R

क्र० 331 मूल्य 500 दिनांक 13/12/11

नाम प्रधानाचार्य कौशलकुमारी तिवारी के हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
स्टाम्प विक्रेता
तहसील चायल कौशाम्बी
ला० नं० 2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /11/ AV 814727

उसकी जिम्मेदारी मै मुकिर व क्रेता की होगी एवं राजस्व की भरपाई करेगें।

नोट :- दस्तावेजहाजा के पन्ना दस की पहली लाइन व दूसरी लाइन की पूरी इबारत कटी है जो विक्रेता एवं क्रेता की जानकारी मे है।

गवाह नं01- सुनील कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 गया प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम मोही-उद्दीनपुर कोराँव परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी। Sunil Kumar Mishra

गवाह नं02- विमल चन्द पाण्डेय पुत्र सत्यनरायन पाण्डेय निवासी ग्राम अमिरसा परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी। विमलचन्द

मसविदाकर्ता- Dhara Singh Advocate ꠸ धारा सिंह एडवोकेट ꠸

टाइपकर्ता- Subhash ꠸ सुभाष कुमार ꠸

दिनांक 19-12-2011 ई0

Jawahar Lal   K.K.Tiwari

कौशाम्बी

1

(2)

[illegible] 416 मूल्य 100 दिनांक 19/12/11

[illegible] दयाशंकर कौशल कुमार [illegible] |

लक्ष्मी नारायण [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मुकदमा नम्बर - 192/Tah. 20.12.11
तारीख फैसला - 6.2.2012
R6 पृष्ठ 23 के क्रम सं. 21 पर
नामान्तरण आदेश दर्ज है

2012-2011
199 D 684
220
2675/2011

आरा० नं० - 13

(3)

13/10

I. 1955/2005

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

THOUSAND RUPEES

नि० अं० रूखमिनिया

नि० अं० खुरमी

विक्रय पत्र

हमकि श्रीमती रूखमिनिया पुत्री बेनी पत्नी रामशरन व श्रीमती खुरमी पुत्री बेनी पत्नी छोटे लाल निवासिनीगण ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की भारतीय महिला नागरिक हैं । एवं अनु0जाति व अनु0जनजाति के नहीं हैं ।

विदित हो कि मुकिरान भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र में दिया जा रहा है के मालिक काविज दखील व संक्रमणीय भूमिधर हैं जो हर प्रकार के भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त है मुकिरान को अपने निजी व्यय एवं खर्च खानगी आदि के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के रूपया मिलने की दूसरी सूरत

नि० अं० रूखमिनिया

नि० अं० खुरमी

KKlewah

क्र० 590 मूल्य 1000 दिनांक 31/10/03

नाम उप्पलकाष्ठ रोड इण्टर कार सट्टीमेनिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन 18 आकलैण्ड रोड इलाहाबाद द्वारा सचिव

पुत्र / पत्नी कौशल कुमार तिवारी S/o स्व० शम्भु नाथ तिवारी

पता 100/3 बेनीगंज इलाहाबाद व

पेशा समाज जिला इला०

शुल्क उजरती मुक्ता योग 1380 / 1360

श्रीमती / श्री कौशल कुमार तिवारी

पत्नी / पुत्र श्री शम्भु नाथ तिवारी

नि० 100/3 बेनीगंज इलाहाबाद

ने उप निबन्धक कार्यालय 31.10.03

कौशाम्बी आज दिनांक

के मध्य मय छाया प्रति प्रस्तुत किया।

KKLewak

उप निबन्धक चायल 31,10-03
कौशाम्बी

लेख पत्र का आशय सुनने व समझने के पश्चात प्रस्तुत लेख का निष्पादन एवं प्राप्ति अंकन तथा ... प्राप्त कर ... स्वीकार किया

पत्नी श्री [illegible] पत्नी [illegible] नि० [illegible] पो० चायल कौशाम्बी

शिवरतन व कौशल कुमार तिवारी [illegible]

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible] पो० [illegible]

तथा श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible] पो० [illegible] चायल

जिला कौशाम्बी ने की।

नि० [illegible] [illegible]

उप निबन्धक चायल 31.10.03
कौशाम्बी

KKLewak

नि० [illegible]

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

कार्यालय ... कोषाधिकारी

OCT 2000

कौशाम्बी

-2-

नहीं दिखलाई पड़ रही है लिहाजा मुकिरान अपनी राजी व खुशी से विला किसी के बहकाये व फुसलाये दुरूस्त होश हवास में स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवज मुवलिग-60,000/-रूपया (मु0 साठ हजार रूपया) जिसका आधा मुवलिग-30,000/-रूपया (मु0 तीस हजार रूपया) होता है बदस्त वहक उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेविल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन-18 आकलैण्ड रोड़ शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर-102 जी./3 बेनीगंज शहर इलाहाबाद के हाथ बेंचा व वय कामिल किया । क्रेता से हमें कुल जरसमन मुवलिग साठ हजार रूपया कब्ल तहरीर व तकमील दस्तावेज हाजा मिल चुका है अब जिम्मे क्रेता बावत जरसमन हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा यही तहरीर निसवत वसूलयावी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदागाना लिखने की जरूरत नहीं है जायदाद विकी हुई पर से हमने अपना कब्जा व दखल उठा लिया है और

KKTewari

सं० 591 मूल्य 1000 दिनांक 31/10/07

द्वारा सचिव कौशल कुमार ... बेचा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

तहसील चायल कौशाम्बी

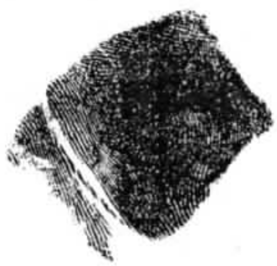

मुकदमा की पहचान के कार्यवाही की ... प्रतीत होते हैं कि निष्पादन संयुक्त ... किये गये।

31.10.07

उप निबन्धक ... चायल-कौशाम्बी

1000Rs.

3 OCT 2009

-3-

मिस्ल अपने मालिकाना तौर से क्रेता को काबिज व दखील करा दिया है अब बवजह लिख देने दस्तावेज हाजा बहक क्रेता जायदाद विकी हुई मे हमारा व हमारे वारिसान व कायम मुकामान का कुछ भी हक व हिस्सा कब्जा व दखल बाकी नहीं रहा । आज की तारीख से जायदादविकी हुई का तनहा मालिक काबिज दखील व संक्रमणीय भूमिधर क्रेता हुआ उसको हक हासिल है कि बावत जायदाद विकी हुई जो जो तसरूर्फात मालिकाना चाहे अमल मेंलावे और नाम अपना दर्ज कागजात सरकारी करा लेवे अगर जायदाद विकी हुई बवजह नुक्श मिलकियत या फेलवेजा हम मुकिरान या दावेदारी किसी दीगर सख्स के क्रेता के कब्जा व दखल से निकल जावे जिससे कि क्रेता का नुकसान व खिसारा होवे तो क्रेता को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल जरसमन मय नुकसान व खिसारा हमारी जात व जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे इसमें मुकिरान व मुकिरान के वारिसान व कायम मुकामान कोकोई उज्र एवं एतराज नहीं होगा । विक्रित भूमि संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है । विक्रित भूमि में कोई निर्माण व दरख्त नहीं है । विक्रित भूमि

निं०म० सूरजीनिया निं०म० खुरमी KKlewal

592 1000 3/1/04

द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी के हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण केशवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

तहसील ... कौशाम्बी

ला० सं० 3

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 797251

विकसित क्षेत्र में स्थित है । विक्रित भूमि वक्फ, ट्रस्ट, नजूल, पट्टा, सीलिंग व गाँवसभा की सम्पत्ति नहीं है । विक्रित भूमि का आज के पूर्व कोई भी इकरारनामा आदि नहीं हुआ है । विक्रित भूमि राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, जनपदीय-मार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा लिंक मार्ग से भी सौमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है । वाजे रहे कि विक्रित आराजी के लिखित खातेदार बेनी पुत्र महावीर की मृत्यु हो चुकी है । मृतक के कोई पुत्र या स्त्री नहीं है । मृतक बेनी को जायज व कानूनी वारिसान उनकी पुत्रियाँ मुकिरान हैं ।

लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर कामआवे ।

नि०अ० रूस्वीमनिया — नि०अ० रतरमी — KKLewah

क० 5 93 मूल्य 100) [illegible] 3/11/09

[illegible] द्वारा श्री चक्रौर राव कुमार तिवारी हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण [illegible]

लक्ष्मी नारायण [illegible]

[illegible]

[illegible] कौशाम्बी

[illegible] सं० 2

[illegible] कौशाम्बी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 797252

तफसील जायदाद मुबैया

हुकूक भूमिधरी वाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजी संख्या-13 (तेरह) रकबा-0.034 हे0 (जीरो दशमलव जीरो चौतीस-हे0) बलगानी पचासी पैसा सालाना कुल सोलहआना मुबैया । विक्रित भूमि की चौहद्दी उत्तर-आराजी संख्या बाईस, दक्षिण व पश्चिम-आराजी संख्या चौदह, पूरब-आराजी संख्या अठ्ठारह है । विक्रित भूमि की सरकारी मालियत मुबलिग-दो सौ रूपया प्रतिवर्गमीटर की दर से मुबलिग-68,000/-रूपया (मुबलिग-अरसठ-हजार रूपया) होती है जिस पर स्टाम्पशुल्क अदा किया जा रहा है ।धारा-157 ए लागू नहीं होती हैं क्योंकि विक्रेतागण जाति के पटेल हैं । उ0प्र0 स्टाम्प सम्पत्ति नियमावली सन् 1997 के नियम 27 का अक्षरश: पालन किया गया है तथा प्रपत्र 6 तथ्यात्मकसत्य पर आधारित है । उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0-

नि० म०र०स्वामीनाथ नि० क०र०सुरमी K.Kewal

नौशाम

(82)

594 मूल्य 100 31।10।09
द्वारा ... द्वारा भेंट।

लक्ष्मी नारायण कौशाम्बी
स्थापक ...
... कौशाम्बी
पु० सं० 2

... कौशाम्बी

नजरी नक्शा ग्राम- काजीपुर परगना व तहसील- चायल
जिला- कौशाम्बी बाबत आराजी नम्बर 13 रकवा 0.034 हे०

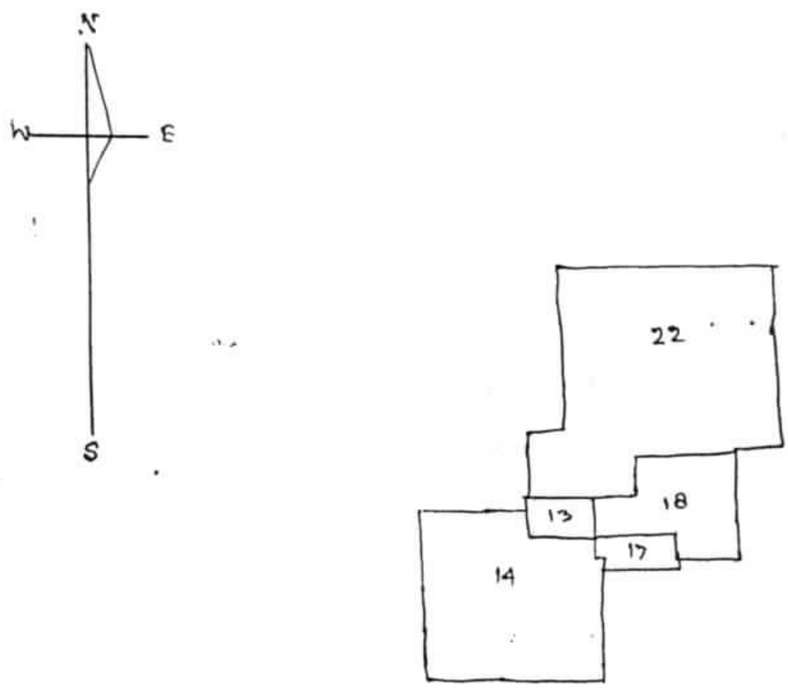

बिक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूर है लिंक मार्ग से भी सौ मीटर से अधिक दूर है बिक्रित भूमि में कोई निर्माण व वृक्ष नही है संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

नि० म० स्वामीनिधा

नि० अं० तुरनी

KKlewak
KKlewak

नि० म० स्वामीनिधा

नि० म० तुरनी

कौशल

(R)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 797253

स0वि0क0नि0 5-6328/11-2008-500(165)/07 दिनांक 2 जनवरी 2009 के तहत स्टाम्पशुल्क अदा किया जा रहा है । लेखपत्र में एवं संलग्न नजरी नक्शा में जो तथ्य उल्लिखित किया गया है वह सत्य एवं सही है और हमारी जानकारी मे है यदि इसमें कोई कमी पाई जाती है तो हम मुकिरान व क्रेता इसके जिम्मेदार

0 395 [illegible] (100) [illegible] 3/1/0[illegible]
[illegible] [illegible] तिवारी [illegible] ।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
लक्ष्मी नारायण केसरवानी
[illegible]
[illegible] कौशाम्बी
[illegible] सं० 2

[illegible] कौशाम्बी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 797254

होंगे एवं राजस्व की भरपाई करेंगे ।

गवाह नं0 1 :- छोटे लाल पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम महेशपुर परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी । नि० छोटेलाल

गवाह नं0 2 :- गनेश प्रसाद पुत्र रोशन लाल निवासी ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपदकौशाम्बी । नि० गनेश प्रसाद

मसविदाकर्ता :- Dhara Singh Advocate ॥ धारा सिंह एडवोकेट ॥

टाइपकर्ता :- कमलेश कुमार ॥ कमलेश कुमार॥

दिनांक 31. 10. 2009 ई0

नि० सुरवमिलिया नि० रधुरानी KKLewah

(3)

सं० 596 ... 2009 ... 31/10/09

आरोपित कौशल कुमार तिवारी ... देखा।

लक्ष्मी नारायण कोशवानी

मुकदमा नम्बर 23 स०.सी.जे.कोर्ट दाखिला 3 12/09
ता० फैसला 12.1.2010

धारा दिनांक 31.10.09 ... 4 05
प्रति पृष्ठ ... I ... 19.5.2011
के पृष्ठ 1/15
पर रजिस्टर्ड ...

... कौशाम्बी

I.1440/08

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

नि:अ० रोशनलाल

KKlewar

विक्रय-पत्र

मनकि रोशन लाल पुत्र सरजू कौम पटेल निवासी ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी का भारतीय नागरिक हूँ । एवं अनु0-जाति व अनु0जनजाति का नहीं हूँ ।

विदित हो कि मुकिर भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र में दिया जा रहा है का मालिक काबिज दखील व संक्रमणीय भूमिधर है जो हर प्रकार के भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त है मुकिर को अपने निजी व्यय एवं खर्च खानगी आदि के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के रूपया मिलने की दूसरी सूरत नहीं दिखलाई पड़ रही है लिहाजा मुकिर अपनी राजी व खुशी से बिलाकिसी के बहकाये व फुसलाये दुरूस्त होश हवास में स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमिनिम्नलिखित

नि:अ० रोशनलाल

KKlewar

539 1000 28 10 09

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिविएशन, 18 ओल्ड कैन्ट रोड शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

रु0: शम्भू नाथ तिवारी

म0नं0 102 ए/3 ओल्ड कटरा सदर

सदर इलाहाबाद

4/9 30000/-
मा0 68000/-

1360/- 20/- 1380/- 8m

नि: शुल्क उजरत / मुक्ता योग ...... रुपया।

श्रीम ...... कौशल कुमार तिवारी

पत्नी/ ...... पुत्र स्व0 शम्भू नाथ तिवारी

नि...... 102 ए/3 बेनीगंज इलाहाबाद

मे ...... उप निबन्धक

कौशा... आज दिनांक 28/10/09

के मध्य मय छाया प्रति प्रस्तुत किया।

KKTewari

उप निबन्धक चायल 28/10/09

कौशाम्बी लेख पत्र की स...

पश्चात प्रस्तुत ...

प्राप्ति अंकन रु0 30,000/- ना...

पूर्व तथा ...... मेरे ...

उक्त श्री .... पुत्र ... निवासी

...... ने स्वीकार किया

... व कौशल कुमार तिवारी

...नका पहचान श्री ...... गनेश प्रसाद

पुत्र श्री ...... स्व0 ... लाल

निवासी .... चायल

तथा श्री ...... योगेश कुमार

पुत्र श्री ....

निवासी .... चायल

...त्मा कौशाम्बी ने की।

...लाल

KKTewari

उप निबन्धक चायल 28/10/09

योगेश कुमार

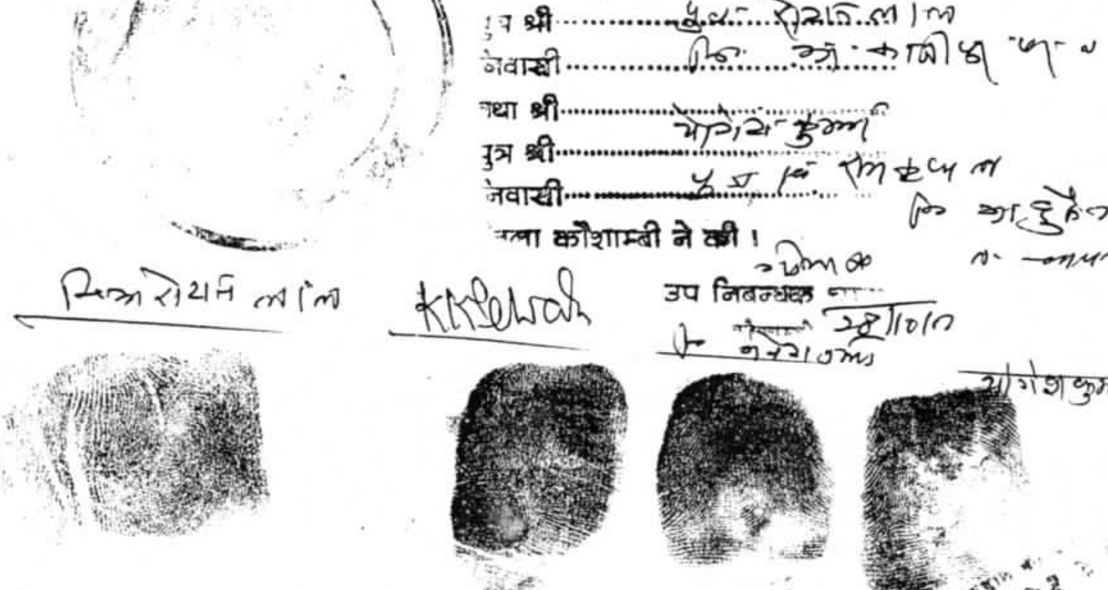

उप निबन्धक चायल कौशाम्बी 28/10/09

1000Rs.

को बएवज मुवलिग-30,000/-रूपया (मुवलिग-तीस हजार रूपया) जिसका आधा मुवलिग-15,000/-रूपया (मुवलिग-पन्द्रह हजार रूपया) होता है बदस्त बहक उत्थान सेण्टर फार सस्टेनेविल डेवलमेण्ट एण्ड पावर्टी एलिवियेशन 18 आकैलण्ड रोड़ शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर-102 जी/3 बेनीगंज शहर -- इलाहाबाद के हाथ बेंचा व वय कामिल किया। क्रेता से मुझे कुल जरसमन मुवलिग तीस हजार रूपया कबल तहरीर व तकमील दस्तावेज हाजा मिल चुका है अब जिम्मे क्रेता बावत जरसमन मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहा यही तहरीर निसवत वसूलयावी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदागाना लिखने की जरूरत नहीं है जायदाद विकी हुई पर से मैने अपना कब्जा व दखल उठा लिया है और मिस्ल अपने मालिकाना तौर से क्रेता को काविज व दखील करा दिया है अब बवजह लिखदेने दस्तावेज हाजा बहक क्रेता जायदाद विकी हुई मे मेरा व मेरे वारिसान व कायम मुकामान का कुछ भी हक व हिस्सा कब्जा व दखल बाकी

निःअः रोशनलाल

KKTewari

540 1000) 28 10/9

उत्पाद ज्ञानसिंह कौशल [illegible]

लक्ष्मी नारायण केशरवानी

1000Rs.

3 OCT 2000

-3-

नहीं रहा । आज की तारीख से जायदाद विकी हुई का तनहा मालिक काविज दखील व संक्रमणीय भूमिधर क्रेता हुआ उसको हक हासिल है कि बावत जायदाद विकी हुई जो जो तसरूफांत मालिकाना चाहे अमल में लावे और नाम अपना दर्ज कागजात सरकारी करा लेवे अगर जायदाद विकी हुई बवजह नुक्श मिलकियत या फेलबेजा मुझ मुकिर या दावेदारी किसी दीगर सखश के क्रेता के कब्जा व दखलसे निकल जावे जिससे कि क्रेता कानुकसान व खिसारा होवे तो क्रेता को हक हासिल होगा कि वह अपना कुलजरसमन मय नुकसान व खिसारा मेरी जात व जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे इसमें मुकिर व मुकिर के वारिसान व कायम मुकामान को कोई उज्र एवं एतराज नहीं होगा । विक्रित भूमि संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है । विक्रित भूमि में कोई निर्माण व दरख्त नहीं है । विक्रित भूमि विकसित क्षेत्र में स्थित है । विक्रित भूमिवक्फ, ट्रस्ट, नजूल, पट्टा, सीलिंग व गाँवसभा की सम्पत्ति नहीं है । विक्रित भूमि का आज के पूर्व कोई भी इकरारनामा आदि नहीं हुआ है । विक्रित भूमि लिंक-मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूर है।

KKlewah

नि: अ: रोशनलाल

रोशनलाल

रु० 541 (1000) 28 10 कु

[illegible] प्रदान द्वारा सचिव कौसानी कुमाऊँ निवासी

लक्ष्मी नारायण के सानिध्य

लक्ष्मी नारायण [illegible]

[illegible]

[illegible] सं० 2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 797232

लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

तफसील जायदाद मुबैया

हुकूक भूमिधरी वाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजी संख्या-17 (सत्रह) रकबा-0.034 हे0 (जीरो दशमलव जीरो चौतीस-हे0) बलगानी पचास पैसा सालाना कुल सोलहआना विक्रय किया । विक्रित भूमि की चौहद्दी पूरब-व उत्तर-आराजी संख्या अठ्ठारह, दक्षिण-आराजी संख्या एकतीस, पश्चिम-आराजी संख्या चौदह है । विक्रित भूमि की सरकारी मालियत मुबलिग-दो सौ रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से मुबलिग-68,000/-रुपया (मु0 अरसठ हजार-

KKLuvah

नि:अ: रोशन लाल

रोशन

00542 1001 28/10/09

उद्यान शाकभाजी को राज कुमार तिवारी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

शासन कौशाम्बी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 797233

-5-

रूपया) होती है जिस पर स्टाम्पशुल्क अदा किया जा रहा है ।

धारा 157 ए लागू नहीं होती है । उ0प्र0 स्टाम्प सम्पत्ति नियमावली

सन् 1997 के नियम 27 का अक्षरशः पालन किया गया है तथा प्रपत्र 6

तथ्यात्मक सत्य पर आधारित है । उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-

स0वि0क0नि0 5-6328/11-2008-500) 165)/07 दि0 2 जनवरी 2009

नि0 भा0 रोशनलाल

K.K. Lesak

कौशल

0 593   100)   28/1/09

उत्थान ग्रामसचिव श्री शशिकुमार तिवारी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

कौशाम्बी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 797234

के तहत स्टाम्पशुल्क अदा किया जा रहा है । लेखपत्र में एवं संलग्न नजरी नक्शा में जो तथ्य उल्लिखित किया गया है वह सत्य एवं सही है और हमारी जानकारी में है यदि इसमें कोई कमी पाई जाती है तो मै मुकिर व क्रेता इसके जिम्मेदार होंगे एवं सम्पूर्ण राजस्व की भरपाई

KKlewah

नि॰अ॰ रोशनलाल

नैनीताल

0 544 1001 28/10/09

इस्पात द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

लक्ष्मी नारायण के सामने

नजरी नक्शा ग्राम- काजीपुर परगना व तहसील- चायल
जिला- कौशाम्बी बाबत आराजी नम्बर 17 रकबा 0.034 हे०

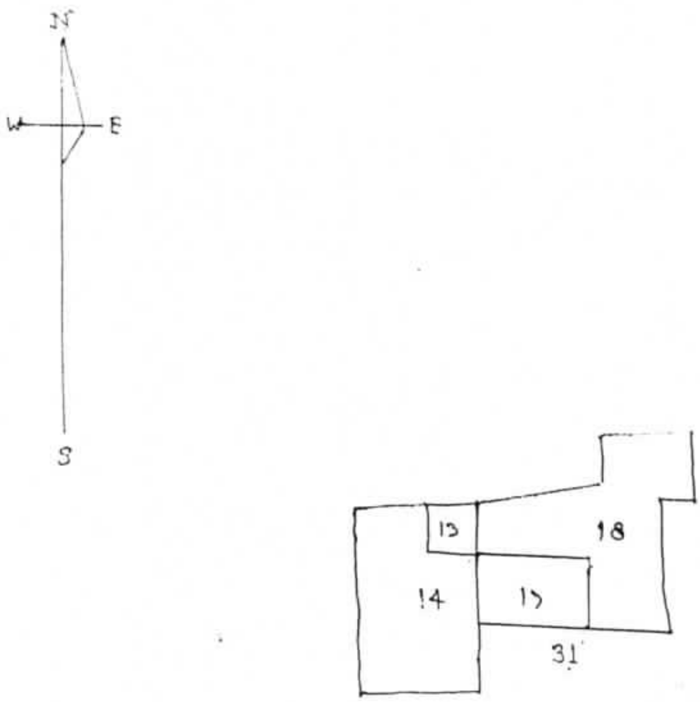

विक्रित आराजी संख्या सत्रह (17) राष्ट्रीयराजमार्ग व
राजमार्ग व जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग से 200मी० से
अधिक दूर है कोई निर्माण वृक्ष नही है संस्था के प्रयोजन
हेतु क्रय की जा रही है।

नि॰ अ॰ रोशन लाल

नि॰ अ॰ रोशनलाल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 797235

भी करेंगे ।

गवाह नं0 1 :- गनेश प्रसाद पुत्र रोशन लाल निवासी ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी ।

नि०अ० गनेश प्रसाद

गवाह नं0 2 :- योगेश कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी ग्राम हुसेनमई परगना व तहसील चायल जनपदकौशाम्बी । योगेश कुमार

मसविदाकर्ता :- Dhara Singh Advocate ﴾धारा सिंह एडवोकेट﴿

टाइपकर्ता :- कमलेश कुमार ﴾कमलेश कुमार﴿

दिनांक 28.10.09 ई0

KKTewari

नि०अ० रोशन लाल

रोशन

(4)

0 545

100) 28 10/09

इकरार द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी
लक्ष्मी नारायण केसरवानी

मुकदमा नम्बर 21 / A.C.O कोखराज 312/09
ता० फैसला 12.1.2010

20.10.09

प्रति पुस्तक 109 I 404
के पृष्ठ 32
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया। 1940/09
उप-निबन्धक
कौशाम्बी

कौशाम्बी

I-2254/08

18/2/16

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

UJDD 472384

सभी पक्षों फोटो प्रमाणित किया

K K Tewari

विक्रय पत्र

मैं कि रुपचन्द्र पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम महमूदपुर मनौरी, परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी का भारतीय नागरिक है एवं अनुसूचित जाति व जनजाति का नही है।

विदित हो कि मुकिर भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेख पत्र

रुपचन्द्र   K K Tewari

कोषागार कौशाम्बी

दनांक 10/12/08 ... 25000/-

रु० 39,20,000/- नाम उत्थान सेन्टर [illegible] डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन

रु० 39,20,000/- द्वा० 18 A [illegible]

5000/- 20/- 5020/- 1000/-

लेख शुल्क उजरत / मुक्ता प्रयोग शब्द सम्पत्ति

उप निबन्धक सहायक कोषाधिकारी कौशाम्बी

श्रीमती / श्री कौशल कुमार तिवारी

पत्नी / श्री पुत्र स्व० शम्भू नाथ तिवारी 10/12

निवासी 102 बी/3 केरीगंज, इलाहाबाद

ने कार्यालय उप निबन्धक चायल जिला कौशाम्बी आज दिनांक 23/12/08 को

के मध्य मय छाया प्रति प्रस्तुत किया ।

KKTewari

[illegible]

उप निबन्धक चायल 23/12/08 कौशाम्बी

लेख पत्र की संविदा सुनने व समझने के पश्चात प्रस्तुत प्रलेख का निष्पादन एवं प्राप्ति अंकित रू० 39,20,000/- [illegible] पूर्व तथा मेरे समक्ष प्राप्त कर्ता उक्त श्री रूपचन्द [illegible] ने [illegible]

[illegible] कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शम्भू नाथ तिवारी नि० 102 बी/3 केरीगंज, इलाहाबाद [illegible]

जिनकी पहचान श्री [illegible] कुमार

पुत्र श्री स्व० शम्भू नाथ तिवारी

निवासी 102 बी/3 केरीगंज, इलाहाबाद

तथा श्री [illegible] कुमार मिश्र पुत्र स्व० [illegible] मिश्र

निवासी नि० 188 A/4 [illegible] इलाहाबाद

जनपद कौशाम्बी ने की ।

[illegible]

उप निबन्धक चायल 23/12/08

कौशाम्बी

KKTewari

[illegible]

Shashi Bhushan

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

01DD 472385

में दिया जा रहा है का मालिक काबिज़ दखील व संक्रमणीय भूमिधर है जो हर प्रकार के भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त है । मुकिर को अपने निजी व्यय व तरक्की कारोबार के लिये रुपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के रुपया मिलने की दूसरी सूरत नही दिखलाई पड़ रही है लिहाज़ा मुकिर अपनी राज़ी व खुशी से बिला किसी के बहकाये व फुसलाये दुरुस्त होश हवास में स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवज मुबलिग रु0 39,20,000/-- (रु0 उन्तालिस लाख बीस हज़ार) जिसका आधा मुबलिग रु0 19,60,000/– (रु0 उन्नीस लाख साठ हज़ार) होता है बदस्त बहक उत्थान सेन्टर फॉर सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एन्ड पावर्टी एलीवियेशन, 18–ए, ~~ऑकलैण्ड रोड~~, इलाहाबाद, द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0

18/12/08 → 2500/-

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन 18A कालीकटरा

18/12

सुनील कुमार मिश्र

का पहचान
प्रतीत होते हैं
किए गये।

18/12/08

जनपद-कौशाम्बी

01DD 472386

3

शम्भूनाथ तिवारी निवासी 102 जी0/3 बेनीगंज, इलाहाबाद के हाथ बेचा व वय कामिल किया। क्रेता से मुझे कुल जरसमन मुबलिग रु0 उन्तालिस लाख बीस हज़ार मे से रुपये एक लाख जरिये चेक संख्या 066019 जो यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, करैली शाखा इलाहाबाद पूर्व मे प्राप्त हो चुका था तथा चेक संख्या 037777 जो यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, करैली शाखा इलाहाबाद मुबलिग अड़तीस लाख बीस हज़ार रुपया प्राप्त हो चुका है। अब मेरा क्रेता के जिम्मे कुछ भी पाना बाकी नही रहा। यही तहरीर निसबत वसूलयावी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदागाना लिखने की जरुरत नही है। जायदाद बिकी हुई पर से मैने अपना कब्ज़ा व दखल हटा लिया है और मिस्ल अपने मालिकाना तौर से क्रेता को काबिज व दखील करा दिया है अब बवजह लिख देने दस्तावेज़ हाजा बहक खरीदार जायदाद बिकी हुई में मेरा व मेरे वारिसान व कायम मुकामान का

कोषागार कौशाम्बी

दि॰ 10/11/15 ... 2500/-

प्राप्त उत्थान सेन्टर (फा) सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन

द्वारा 18A बाकरगंज

सहायक रोकड़िया

10/11

01DD 472387

कोई भी हक व हिस्सा कब्ज़ा व दखल बाकी नही रहा आज की तारीख से जायदाद बिकी हुई का तनहा मालिक काबिज दखील व संक्रमणीय भूमिधर क्रेता हुआ उसको हक हासिल है कि बावत जायदाद बिकी हुई जो जो तसर्रुफात मालिकाना चाहे अमल में लावे और नाम अपना दर्ज कागज़ात सरकारी करा लेवें अगर जायदाद बिकी हुई बवजह नुक्स मिलकियत या फेलवेजा मुझ मुकिर या दावेदारी किसी दीगर शख्स के क्रेता के कब्ज़ा व दखल से निकल जाये जिससे कि क्रेता का नुकसान व खिसारा होये तो ऐसी सूरत में क्रेता को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल जरसमन मय नुकसान व खिसारा मेरी जात व जायदाद मनकूला व गैरमनकूला से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवें इसमें मुकिर व मुकिर के वारिसान व कायम मुकामान को कोई उज्र व एतराज न होगा। बिक्रित भूमि कृषि भूमि है एवं संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। बिक्रित भूमि विकसित क्षेत्र के ग्रामों की सूची में सम्मिलित है बिक्रित भूमि वक्फ, ट्रस्ट, नजूल, पट्टा, सीलिंग व गाँव सभा की भूमि नही है बिक्रित भूमि का आज के पूर्व कोई भी इकरारनामा, बैनामा, रेहननामा, आदि नही हुआ है। बिक्रित भूमि

कोषागार कौशाम्बी

स्वांक 1011.24.08 ... रुपया 25000/-

नाम उत्थान से-[illegible] माइक्रो [illegible] डेवलपमेंट [illegible] पावर्टी [illegible]

दि० ...

18 A आक०ले०स० 215

सहायक कोषाधिकारी
कौशाम्बी

18/12

01DD 472388

राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूर है तथा लिन्क मार्ग से भी सौ मीटर से भी अधिक दूर है। मुकिर का पैन नम्बर ए0बी0ए0पी0सी0 4481जी0 तथा संस्था क्रेता का पैन नम्बर ए0ए0ए0टी0यू0 0887एफ0 है।

लिहाज़ा यह बैनामा कत्तई लिख दिया कि सनद रहें और वक्त जरुरत पर काम आवें।

<u>तफसील जायदाद मुवैया</u>

हुकूक भूमिधरी वाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराज़ी संख्या–24 (चौबीस) रकबा 1.336 हेक्टेयर (एक दशमलव

10/12/ભર્ડ — ૨૬૦૦૦/-

3 લાખ સેન્ટરમાં સરદેને ફિલ્મ ડેવલપમેન્ટ ૧૬૬ પાવર ક્લીયરન્સ

10A ગાડીઓ માટે

10/12

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

01DD 472389

तीन सौ छत्तीस हेक्टेयर) बलगानी छाछठ रुपया पाँच पैसा तथा आराजी संख्या–18/2 (अठारह बटा दो) रकबा 0.160 हेक्टेयर (जीरो दशमलव एक सौ साठ हेक्टेयर) व आराजी संख्या 23/2 (तेईस बटा दो) रकबा 0.017 हेक्टेयर (जीरो दशमलव जीरो सत्तरह हेक्टेयर) बलगानी नो रुपया अड़तालिस पैसा व आराज़ी संख्या–25 (पच्चीस) रकबा 0.165 हेक्टेयर (जीरो दशमलव एक सौ पैसठ) बलगानी आठ रुपया पन्द्रह पैसा व आराजी संख्या–48 (अडतालिस) मि० रकबा 0.037 हेक्टेयर (जीरो दशमलव जीरो सैतीस) बलगामी साठ पैसा व आराज़ी संख्या–47 (सैतालिस) रकबा 0.245 हेक्टेयर (जीरो दशमलव दो सौ पैतालिस हेक्टेयर) बलगानी बारह रुपया पाँच पैसा सालाना अपना कुल का कुल

૧૭/૧૨થી — ૨૫૦૦૦/-

ઉત્થાન સેન્ટર ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પાવર્ટી એલીવિએશન

18A [illegible]

18/12

01DD 472390

विक्रय किया। इस प्रकार कुल छः गाटा कुल बिक्रित रकबा 1.960 हेक्टेयर (एक दशमलव नौ सौ साठ हेक्टेयर) है। बिक्रित आराज़ी संख्या चौबीस की चौहद्दी पूरब आराज़ी संख्या छब्बीस व अठ्ठाइस व उनतीस है। पश्चिम आराज़ी संख्या तेईस व बाइस है। उत्तर आराज़ी संख्या पच्चीस है। दक्षिण आराज़ी संख्या तीस है। आराजी संख्या तेईस की चौहद्दी पूरब आराज़ी संख्या चौबीस। पश्चिम आराज़ी संख्या बाईस। उत्तर आराज़ी संख्या चौबीस। दक्षिण आराज़ी संख्या चौबीस है। आराजी संख्या अठ्ठारह की चौहद्दी पूरब खेत अन्य व्यक्ति। पश्चिम आराज़ी संख्या सत्रह व तेरह। उत्तर आराज़ी

10/12/05

25000/-

[illegible] સેન્ટર ફોર [illegible] ડેવલપમેન્ટ [illegible] પબ્લિકેશન
18A [illegible] રોડ

[illegible]

10/12

[illegible]

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

01BB 714642

संख्या बाईस व दक्षिण खेत अन्य व्यक्ति है। आराज़ी संख्या पच्चीस की चौहद्दी पूरब आराज़ी संख्या छब्बीस। पश्चिम आराज़ी संख्या बाईस। उत्तर सीमा ग्राम क्यामउद्दीनपुर। दक्षिण आराज़ी संख्या चौबीस है। आराज़ी संख्या सैतालिस की चौहद्दी पूरब आराज़ी संख्या उनचास। पश्चिम आराज़ी संख्या छियालीस। उत्तर आराज़ी संख्या अड़तालिस। दक्षिण आराज़ी संख्या चौवालिस है। आराज़ी संख्या अडतालिस की चौहद्दी पूरब आराज़ी संख्या उनचास। पश्चिम आराज़ी संख्या छियालीस। उत्तर सीमा ग्राभ क्यामउद्दीनपुर। दक्षिण आराज़ी संख्या सैतालिस है। बिक्रित भूमि की सरकारी मालियत दो सौ रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से

दिनांक 18/12/08

रु० [illegible]/-

नाम उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट एंड पावर्टी एलीविएशन

पता 18A आकलैण्ड रोड

सहायक रोकड़िया

18/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 456302

कौशाम्बी

मुबलिग रु0 39,20,000/– (रु0 उनतालिस लाख बीस हज़ार) होती है जिस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। धारा 157 ए लागू नही होती है, उ0 प्र0 स्टाम्प सम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमावली 1997 के नियम 27 का अक्षरशः पालन किया गया है तथा प्रपत्र छः तथ्यात्मक सत्य पर आधारित है उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या स0 वि0 क0 नि0 5–2756/11–2008–500 (183) 2007 दिनांक 30 जून 2008 के तहत स्टाम्प में कमी की गई है इसी के

KKlewar

R

[illegible] कौशाम्बी

दिनांक 18/12/08 [illegible]

[illegible] उत्थान से-28 मा[illegible] सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट एंड पावर्टी [illegible]

[illegible] 10A आलमगंज [illegible]

सहायक रजिस्ट्रार

18/12

निबंधक कार्यालय कौशाम्बी

1000Rs.

अनुसार स्टाम्प शुल्क पाँच प्रतिशत की दर से अदा किया जा रहा है। लेखपत्र में एवं सलंग्न नजरी नक्शा में जो तथ्य उल्लिखित किया गया है वह सत्य एवं सही है और विक्रेता एवं क्रेता की जानकारी में है यदि इसमें कोई कमी पाई जाती है तो मैं मुकिर व क्रेता इसके जिम्मेदार होगें।

गवाह नम्बर – 1

गवाह नम्बर – 2 सुनील कुमार मिश्र S/o स्व० गंगा प्रसाद मिश्र पता - 188 A/4 राजरूपपुर इला०

मसविदाकर्ता : Dhara Singh Advocate (धारा सिंह,एडवोकेट)

टाईपकर्ता : (मोहम्मद इमरान खान)

दिनांक : 23–12–2008

K.K. Tewari

कोषागार कौशाम्बी

दिनांक 18/11/08 ... 1 ...

नाम ...

सा. 18A ...

सहायक रोकड़िया

कौशाम्बी

18/11

मुकदमा नम्बर 20/16.9.09 ...

तारीख फैसला 27.10.09

प्राप्त दिनांक 27.12.08 का फोटो ...

प्रति ... 151 ... I ... 420

... 170 ... 2254/08

... निबन्धक

... कौशाम्बी

ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जिला कौशाम्बी

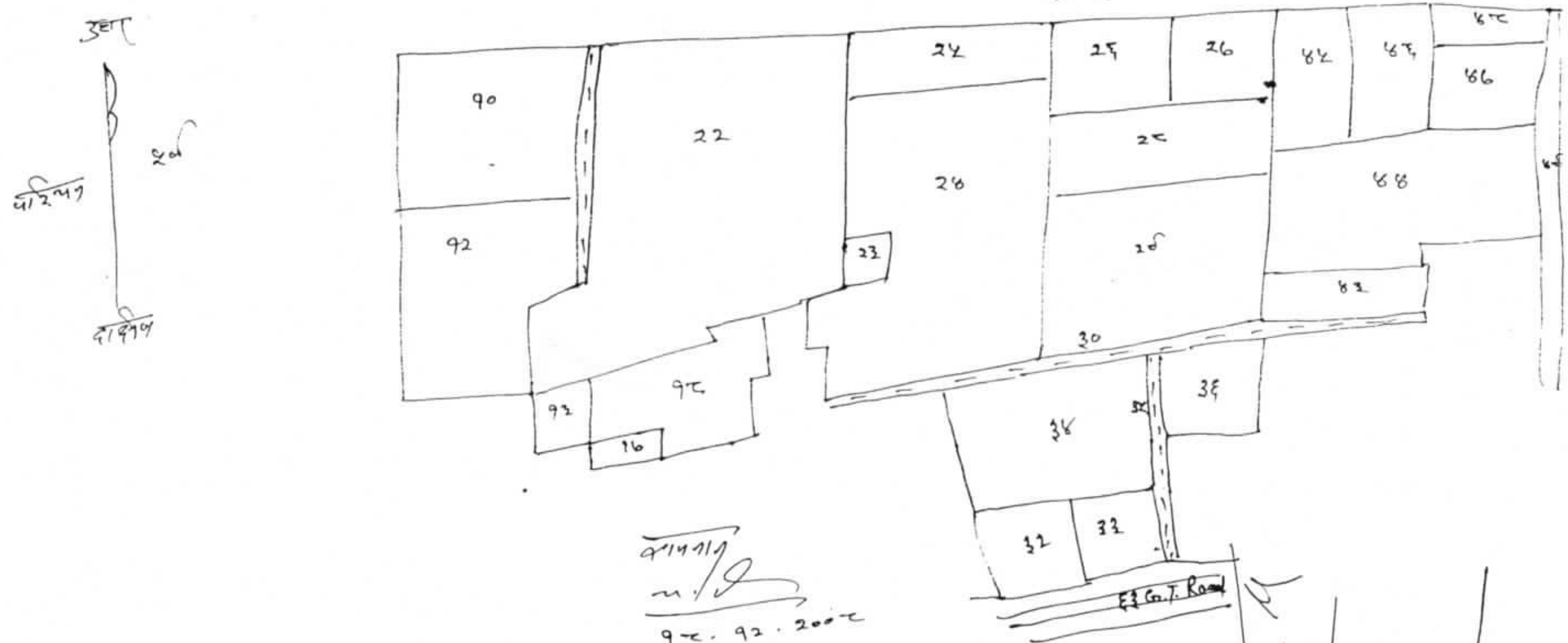

नोट :– बिक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग व राजमार्ग व जनपदीय मार्ग से दो सौ मीटर से अधिक दूर है तथा लिन्क मार्ग से भी सौ मीटर से अधिक दूर है । बिक्रित आराजी में कोई निर्माण व वृक्ष नही है । कृषि भूमि है। संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

KKtewari

18/1
18/12 → New No 16

यार   D-2316/08   (6)   22/2029

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000   Rs.5000

पाँच ... ये   FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव

IND

उत्तर प्रदेश UT ... SH   G 897436

सुखलाल   सुरेशचन्द

विक्रय-पत्र

3 OCT

1. भूमि का प्रकार --- कृषि
2. वार्ड परगना --- चायल तहसील-चायल
3. मोहल्ला/ग्राम --- काजीपुर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) आ0नं0 22 मि0
5. मापन की इकाई --- हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल --- विक्रित क्षेत्रफल --0. 134 हे0
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) -- कुछ नही
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि) --- कुछ नही
9. सम्पत्ति का प्रकार --- कृषि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति मे)--कुछ नही
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल --- कुछ नही

सुखलाल   सुरेशचन्द   KKlewak

(R)

कौशल

क्र० ५०६ मूल्य 5000/ दिनांक 19।12।2008

नाम उत्थानऔन्ट्रप्रेन्यार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पार्टनरशिप एलीविएशन 18 आर्कलैण्डरोड शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

पुत्र/पत्नी स्व० शम्भु नाथ तिवारी

पता 102जी/3 बैनीगंज थाना

600 20 जिला इलाहाबाद

नि: शुल्क उजरत / मुक्ता योग शब्द

श्रीमती/श्री कौशल कुमार तिवारी ... लक्ष्मी नारायण केशरवानी

पत्नी/पुत्र श्री ...

निवासी 18 आर्कलैण्ड रोड इलाहाबाद

ने कार्यालय उप निबन्धक चायल जिला कौशाम्बी आज दिनांक 19.12.08 को ... 3 बजे

के मध्य मय छाया प्रति प्रस्तुत किया।

सतीश चन्द्र कौशाम्बी

KKTiwari

उप निबन्धक चायल 19.12.08

कौशाम्बी

लेख पत्र की संविदा सुनने व समझने के पश्चात प्रस्तुत प्रलेख का निष्पादन एवं

जिन श्री ... रुपये प्राप्त करना

एवं श्री ... ने स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री ...

पुत्र श्री ...

निवासी ...

श्री ...

निवासी ...

ने की।

उप निबन्धक चायल 19.12.08

कौशाम्बी

सुरेशचन्द

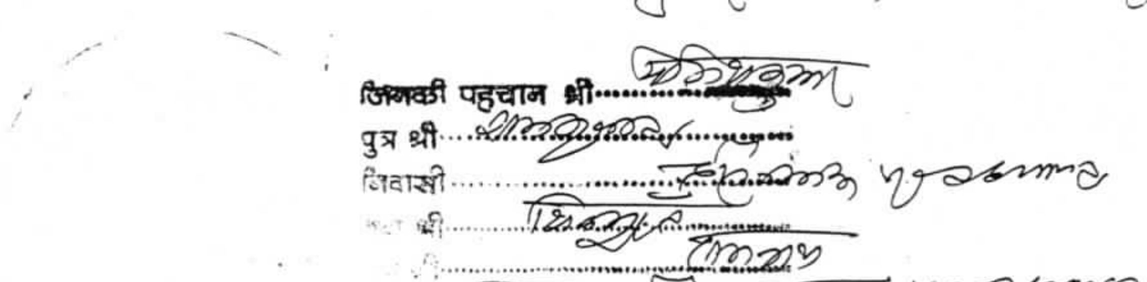

19.12.08

1000Rs.

/2/

12 स्थिति -फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य -- कुछ नही

13 पेड़ो का मूल्यांकन —— कुछ नही

14 बोरिंग/कुँआ/अन्य --- कुछ नही

15. निर्मित क्षेत्रफल --- कुछ नही

16. निर्माण का वर्ष --- कुछ नही

17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है --- नही

18. प्रतिफल की धनराशि — मुबलिग-3,00000/-रूपया

हमकि सुखलाल व सुरेश पुत्रगण रामदेव कौम पटेल निवासीगण ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के भारतीय नागरिक हैं एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के नही हैं ---प्रथमपक्ष विक्रेतागण ।

व

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन 18 आक-

सं० ५०७ मूल्य १००० दिनांक ७/१/२०७

द्वारा संशोधित कौशल कुमार त्रिपाठी [illegible] ।

लक्ष्मी नारायण गोस्वामी

लक्ष्मी नारायण गोस्वामी

ग्रन्थ विक्रेता

नवीन बाजार [illegible]

[illegible]

1000 Rs.

/3/

लैण्ड रोड़ शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भू-नाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर- 102 जी/3 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ---- क्रेता द्वितीय पक्ष ।

विदित हो कि मुकिरान भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र मे दिया जा रहा है के मालिक काबिज दखील व संक्रमणीय भूमिधर हैं जो हर प्रकार के भार वप्रभार से सर्वथा मुक्त है मुकिरान को अपने निजी व्यय व खर्च खानगी आदि के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्न-लिखित को विक्रय करनेके रुपया मिलने की दूसरी सूरत दिखलाई नही पड़ रही है लिहाजा मुकिरान अपनी राजी व खुशी से बिला किसी के बहकाये वफुसलाये दुरुस्थ होश हवास मे स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवजमुबलिग- 3,00000/-रुपया (मुबलिग तीन लाख रुपया) जिसका आधा मुबलिग- 1,50,000/-रुपया (मुबलिग एक लाख पचास हजार रुपया) होता है बदस्त बहक उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन- 18

सुखलाल सुरेशचन्द KKTewari

निजाम (R)

क्र० ४०४ ...... मूल्य १०००) दिनांक ७।२।०७

नाम खरीदार श्रीचन्द कौशल कुमार तिवारी हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण केशरवानी

लक्ष्मी नारायण केशरवानी

[illegible]

तहसील मंझनपुर कौशाम्बी

ला० नं० 2

/4/

आकलैण्ड रोड़ शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्रस्व० शम्भूनाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर-102 जी/3 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद के हाँथ बैंया व वय कामिल किया। खरीदार से हमें उपरोक्त विक्रय मूल्य मे मुबलिग एक लाख रूपया जरिये इकरारनामा दिनांक 20-10-2009 ई० जो उपनिबंधक चायल जनपद कौशाम्बी के यहाँ प्रतिपुस्तक संख्या एक खण्ड 482 के पृष्ठ संख्या-39/50 पर क्रम संख्या-1873/2009 ई० पररजिस्ट्रीकृत है के माध्यम सेप्राप्त हो गया शेष विक्रय मूल्य मुबलिग दो लाख-रूपया आज नकद घर पर प्राप्त हो चुकाहै। इस तरह से हमें कुल जरसमन मुबलिग तीन लाख रूपया प्राप्त हो चुका है अब क्रेता के जिम्मे हमारा कुछ भी बाकी नही रहा। यही तहरीर निसवत वसूलयावी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदा-गाना लिखने की जरूरत नही है। जायदाद बिकी हुई पर से हमने अपना कब्जा व दखल उठा लिया है और मिस्ल अपने मालिकाना तौर से क्रेता को काबिज व दखील करा दिया है अब बवजह लिख देने दस्तावेज हाजा बहक क्रेता जायदाद

[illegible] सुरेशचन्द KKTewari

[illegible]

(R)

५०७ मूल्य १०००) ता० १७।१२।७७

द्वारा [illegible] हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण गोस्वामी

लक्ष्मी नारायण गोस्वामी
महन्त [illegible]
[illegible]
[illegible] ?

/5/

बिकी हुई मे हमारा व हमारे वारिसान व कायम मुकामान का कुछ भी हक व हिस्सा कब्जा व दखल बाकी नही रहा। आज की तारीख से जायदाद बिकी हुई का तनहा मालिक काबिज दखील व संक्रमणीयभूमिधर क्रेता हुआ उसको हक हासिल है कि बावत जायदाद बिकी हुई जो जो तसरूफात मालिकाना चाहे अमल मे लावे और नाम अपना दर्ज कागजात सरकारी करा लेवे अगर जायदाद बिकी हुई बवजह नुक्स मिलकियत या फेलबेजा हम मुकिरान या दावेदारी किसी दीगर सख्श के क्रेता के कब्जा व दखल से निकल जावे जिससे कि क्रेता का नुकसान व खिसाराहोवे तो ऐसी सूरत मे क्रेता को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल जरसमन मय नुकसान व खिसारा हमारी जात व जायदादमनकूला व गैर मनकूला से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे इसमे मुकिरान व मुकिरान के वारिसान व कायम मुकामान को कोई उज्र व एतराज न होगा। बिक्रित भूमि कृषि भूमि है एवं संस्था प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। बिक्रित भूमि मे कोई निर्माण व दरख्त नही है। बिक्रित भूमि बिकसित क्षेत्र मे स्थित है। बिक्रित भूमि वक्फ, ट्रस्ट, नजूलसीलिंग , पट्टा व गाँवसभा की सम्पत्ति नही है। बिक्रित भूमि का आज

सुखलाल सुरेशचन्द KKlewal

कैलाश

(R)

प्र० ५।० मूल्य ५००) [illegible] ।७।१२।०५

[illegible] द्वारा श्री मानचन्द कौशल कुमार त्रिपाठी को हाथ बेचा।

लक्ष्मीनारायण जोशीलोजी

लक्ष्मी नारायण देहरवासी

स्थान (जिला)

रामलीला चायल कौशाम्बी

क० सं० 2

06 NOV 2009
कौशाम्बी

के पूर्व कोई बैनामा नही हुआ है। विक्रित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग से पाँच सौ मीटर से अधिक दूर है तथा लिंकमार्ग से भी सौमीटर से अधिक दूर है। इकरारनामा दि0 20-10-09 ई0 मे हम लोगो ने 0.205 हे0का मुआहिदा बय तय किया था जबकि मुकिरान का कुल हिस्सा 0.134 हे0 है।

लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद् रहे और वक्त जरुरत पर काम आवें।

तफसील जायदाद मुवैया

हुकूक भूमिधरी वाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजी नम्बर-22 मि0 (बाईस मि0) रकबा-0.205 हे0 (जीरो दशमलव-दो सौ पाँच हे0) बलगानी पाँच रुपया बीस पैसा सालाना मे मुकिरान का कुल हक व हिस्सा 0.134 हे0 (जीरो दशमलवएक सौ चौतिस हे0) है जिसे मुकिरान अपना कुल का कुल विक्रय किया। मुकिरान का अब कोई भी अंश शेष नही बचा है। विक्रित भूमि की चौहद्दी उत्तर- सीमा ग्राम कयामउद्दीनपुर, दक्षिण- आराजी

सुखलाल सुरेशचन्द KKlewah

राधेश्याम

-1

[illegible] ५॥ मूल्य ५००] [illegible] ७।।२०७

[illegible] [illegible] छाप हेला ।

[illegible] नारायण [illegible]

[illegible] नारायण [illegible]

[illegible]

[illegible]

का० नं० ७

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527315

/7/

नम्बर अठ्ठारह व इक्कीस है, पूरब- आराजी संख्या तेईस, चौबीस, पच्चीस है तथा पश्चिम- आराजी नम्बर ग्यारह है। विक्रित भूमि विकसित क्षेत्र मे स्थितहै। विक्रित भूमि की सरकारी मालियत दो सौ रूपया प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलिग दो- लाख अड़सठ हजार रूपया होती है किन्तु खरीदारी मुबलिग- 3,00000/-रूपया (मुबलिग तीन लाख रूपया) होती है जिस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। चूँकि इकरारनामा दिनांक 20-10-2009 ई0 मे मुबलिग छ: हजार रूपया का स्टाम्प अदा किया गया है इसमे सौ रूपये की कटौती करते हुए मुबलिग उन्सठ सौ- रूपये का स्टाम्प विक्रय पत्र मे समायोजित किया जा रहा है। धारा 157 ए लागू नही होतीहै। उ0प्र0 स्टाम्पसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमावली 1997 के नियम 27 का अक्षरश: पालन किया गयाहै तथा प्रपत्र 6 तथ्यात्मक सत्य पर आधारित है। उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या स0वि0क0नि0 5-6328/11-2008-500 (165) / 2007 दिनांक दो जनवरी सन् 2009 के तहत स्टाम्प शुल्क अदा किया जाताहै। लेख- पत्र मे एवं संलग्न नजरी नक्शा मे जो तथ्य उल्लिखित कियागयाहै वह सत्य एवं सही है

सुखलाल सुरेशचन्द्र KKlehwal

(R)

रामजी

[illegible] ५१८ ... पृष्ठ ६० ... ७।१२।०७

[illegible] संशोधित कौशलकुमारी द्वारा देखा।

लक्ष्मी नारायण गोस्वामी

लक्ष्मी नारायण गोस्वामी

[illegible]

[illegible] गोस्वामी

[illegible] ७

नजरी नक्शा ग्राम काजीपुर परगना व तहसील- चायल
जिला- कौशाम्बी बाबत आराजी नम्बर 22 रकबा 0.205

सीमा श्यामउद्दीनपुर

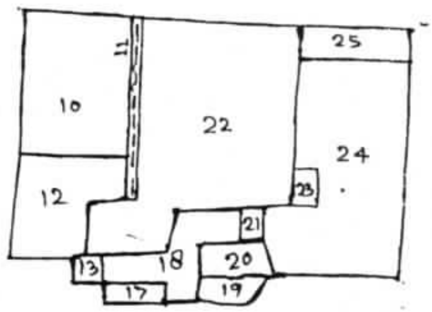

विक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग से पांच सौ मीटर से अधिक दूर है. लिंक मार्ग से भी सौ मीटर से अधिक दूर है कृषि भूमि है संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रित भूमि मे कोई निर्माण लक्ष नही है।

सुखलाल सुरेशचन्द्र KKTewari
सुखलाल सुरेशचन्द्र KKTewari

(R)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527316

और हमारी जानकारी मे है यदि इसमे कोई कमी पायी जाती है तो इसकी जिम्मेदारी हम मुकिरान व क्रेता की होगी एवं राजस्व की भरपाई करेगें।

गवाह नं0 1 :- योगेश कुमार पुत्र स्व0 राम कृपाल निवासी ग्राम हुसेनमऊ परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी। योगेश कुमार

गवाह नं0 2 :- शिवमूरत पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम उमरपुर तालुका सैयद सरांवा परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी। शिवमूरत

मसविदाकर्ता :- Dhara Singh Advocate (धारा सिंह एडवोकेट)

टाइपकर्ता :- Subhash Kumar (सुभाष कुमार)

दिनांक- 19-12-2009 ई0

सुखलाल सुरेशचन्द्र KKLehwah

(R)

पाउ ... 50 ... 19/12/09

... सचिव कौशल कुमार ... द्वारा देखा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
... केसरवानी
... लिपिक
... कौशाम्बी
... नं० 2

मुकदमा नम्बर 25 / 30.12.09 A.C.O. कौशाम्बी
ता० फैसला – 06.2.2010

दिनांक 19.12.09 को फोटो ...
पुस्तक संख्या ... 1 ... 493
के पृष्ठ 139 ... 140 ... 23/6/08
[illegible]
... कौशाम्बी

[illegible] ... धारा 18 के अन्तर्गत [illegible] ... हूँ।

[illegible signature]

19.12.09

T. 1873/2005

1000Rs.

सुखलाल (सुरेश)

इकरारनामा बिला कब्जा

हमकि सुखलाल व सुरेश पुत्रगण रामदेव निवासीगण ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के भारतीय नागरिक हैं। एवं अनुसूचित जाति व अनु०जन जाति के नही हैं।

विदित हो कि मुकिरान भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र मे दिया जा रहा है के मालिक काबिज दखील व संक्रमणीयभूमिधर हैं जो हर प्रकार के भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त है मुकिरान को अपने निजी व्यय के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के रूपया मिलने की दूसरी सूरत नही दिखलाई पड़ रही है लिहाजा मुकिरान अपनी राजी व खुशी से बिला किसी के

सुखलाल (सुरेश) K.K.Tewari

पोखाल

क्र० 375 मूल्य 1000 दिनांक 20/1/08

नाम उद्यान सेन्ट्रल पार सरकारी विकास डेवलपमेन्ट
एण्ड पार्टी व कोऑपरेशन 14 मार्कलैण्ड रोड शहर इलाहाबाद द्वारा
पुत्र/पत्नी सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शम्भूनाथ तिवारी

पता 102 ए/3 बेनीगंज ग्राम व

स्थान सदर जिला इलाहाबाद

अनु व रु 100000/-
amt 100.000/-

लेखपत्र नाम/पता व स्टाम्प

10000/- 20/- 20020 8a

नि: शुल्क उजरत / प्रतिलिपि योग

श्रीमान/श्री कौशल कुमार तिवारी
पत्नी/पुत्र श्री पुत्र स्व० शम्भूनाथ तिवारी
निवासी मि० मकान नं० 102 ए/3 बेनीगंज नं० 2
वार्ड ... इलाहाबाद
ने ... आज दिनांक 20/1/08 ... 1/2
के मध्य मय छाया प्रति प्रस्तुत किया।

KKtewari

उप निबन्धक सदर 20/1/08

पश्चात ...
प्राप्ति ... 100000/- लेखपत्र/कुल
पूर्ण तथा ...
द्वारा श्री सुरेन्द्र लाल व सुरेश कुमार ... निवासी ... पाण्डेय
... ने स्वीकार किया
... विक्रेता व कौशल कुमार ...

पहचान ... श्री ...
पुत्र श्री ... निवासी ...
तथा श्री ...
पुत्र श्री ... निवासी ...
... की गवाही ने की।

उप निबन्धक सदर 20/1/08

सुरेन्द्र लाल — सुरेश — KKtewari — योगेश कुमार

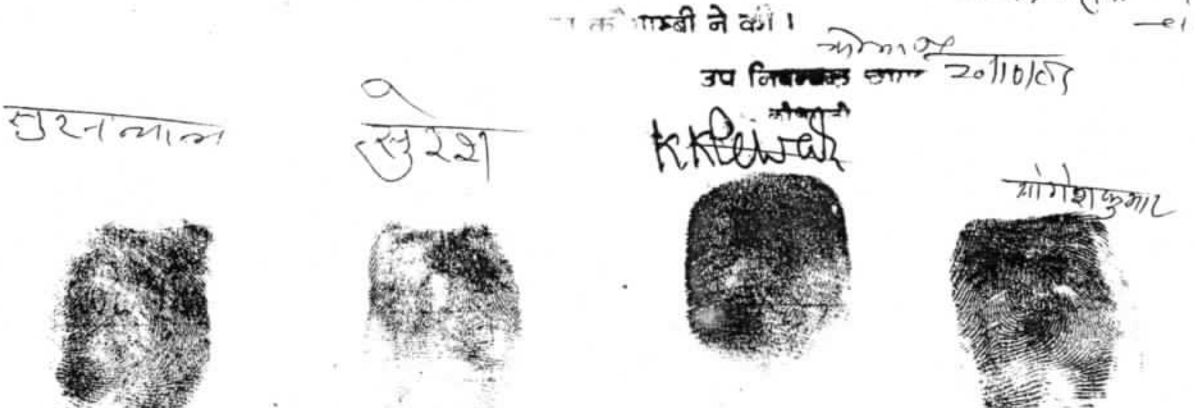

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

[redacted]

कार्यालय ... 3 OCT ... कौशाम्बी

/2/

बहकाये व फुसलाये दुरुस्त होश हवास मे स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवज मुबलिग-3,00000/-रु0 (मु0 तीन लाख रु0) जिसका आधा मुबलिग-1,50,000/-रु0 (मु0 एक लाख पचास हजार-रु0) होता है बदस्त बहक उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन 18 आकलैण्ड रोड शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्रस्व0 शम्भूनाथ तिवारी निवासीमकान नम्बर 102 जी/3 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद के विक्रय का मुआहिदा वय तय किया और कुल जरसमन मे से मुबलिग-1,00000/-रुपया (मुबलिग एक लाख रुपया) बतौर जरबयाना पेशगी के प्राप्त कर लिया। शेष धनराशि मुबलिग-2,00000/-रुपया (मुबलिग-

0 376 मूल्य 1000/- दिनांक 20/10/05

उत्थानधारा सीयम कौशाम्बी हेतु ।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
स्टाम्प विक्रेता
तहसील चायल कौशाम्बी
ला० नं० 2

शिवमूरत

...होते हैं ... दिए गये ।

20/10/05

उप निबंधक चायल
कौशाम्बी

दो लाख रूपया) बरवक्त बैनामा प्राप्त होगा। हम लोग इकरार करते है कि आज की तिथि के छः माह के अन्दर जब क्रेता बाकी रकम का प्रबन्ध कर लेगा तथा मुकिरान राजस्व अभिलेखों को दुरूस्थ करवा लेगें तब क्रेता से बकिया रकम लेकर विक्रय की सारी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके क्रेता के पक्ष मे बैनामा रजिस्ट्री कर देगें। अगर

सुखलाल सुरेश KKDewedi

रामश्याम

सं० 377 मूल्य 1000 दि० 20/10/09

उत्थान द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी के हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

मंझनपुर कौशाम्बी

ला० नं० 2

1000Rs.

/4/

बैनामा करने मे हीला हवाली करेगें तो ऐसी सूरत मे क्रेता को हक हासिल होगा कि वह हमसे जरिये अदालत बैनामा करवा लेगा । इसमे हमें व हमारे वारिसान व कायम मुकामान कोकोई उज़्र व एतराज नही होगा। क्रेता को कब्जा व दखल बरवक्त बैनामा दिया जायेगा। इस लेख की पाबन्दी हमारे वारिसान व कायम मुकामान पर भी समान रूप से लागू होगी।

लिहाजा यह इकरारनामा बिला कब्जा के लिख दिया

सुखलाल सुरेश

[illegible]

[illegible]

(R)

[illegible] 378 मूल्य [illegible] दिनांक 20/10/09
[illegible] उत्थान द्वारा संचित कौशल कुमार त्रिवेदी के द्वारा भेंट ।
लक्ष्मी नारायण [illegible]
लक्ष्मी नारायण [illegible]
भाष्य विभाग
[illegible]
[illegible] सं० 2

1000Rs.

/5/

कि सनद् रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

तफसील जायदाद माहिदावय

हुकूक भूमिधरी बाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजीसंख्या-22स (बाईस स) रकबा-0.205 हे0 (जीरो दशमलव दो सौ पाँच हे0) बलगानी पाँच रूपया बीस पैसा सालाना कुल का कुल विक्रय का मुआहिदा बय किया। जिसकी चौहद्दी पूरब-चकमार्ग, पश्चिम- जवाहर लाल आदि की भूमि, उत्तर-इसी-

क्र० 379 मूल्य 1000 दिनांक 20/10/05

नाम उत्थानद्वारासौंपा कौशल कुमार तिवारी द्वारा बेचा।

लक्ष्मी नारायण कंसारा

लक्ष्मी नारायण कंसारा

स्टाम्प विक्रेता

तहसील चायल कौशाम्बी

ला० नं० 3

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

/6/

आराजी नम्बर का शेष रकबा जो क्रेता का है, दक्षिण-चिरौंजी लालआदि की जमीन है।

गवाह नं0 1 :- योगेश कुमार पुत्र श्रीराम कृपाल निवासी ग्राम हुसेनमऊ परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

योगेश कुमार

गवाह नं02 :- शिवमूरत पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम उमरपुर तालुका सैयद-सरांवा परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

शिवमूरत

मसविदाकर्ता :- Dhara Singh-Advocate (धारा सिंह एडवोकेट)

टाइपकर्ता :- Subhash Kumar (सुभाष कुमार)

दिनांक- 20-10-2009ई0

सुखलाल सुरेश KKSrivastava

फूलचन्द

क्रमांक 380 मूल्य 1000 दिनांक 20/10/09

उपरोक्त द्वारा सिंचित कौशल कुमार के हाथ बेचा। तिवारी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
लक्ष्मी नारायण केसरवानी
स्टाम्प विक्रेता
तहसील चायल कौशाम्बी
ला० सं० 2

आज दिनांक 20.10.09
बही पुस्तक संख्या I 482
के पृष्ठ 38/50 पर 1873/2009
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।
उप-निबंधक
चायल कौशाम्बी

प्रमाणित किया जाता है कि इस
इकरारनामा के आधार पर
[illegible]
दि० [illegible] 23/4/09
से [illegible]

[illegible]
19.12.09

कार्यालय उप रजिस्ट्रार चायल कौशाम्बी

9/15 D-2316/08 संयुक्तता मे दिखाया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच [...] ये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव

INDI

उत्तर प्रदेश UT[...]SH

G 897436

सुखलाल सुरेशचन्द

विक्रय-पत्र

1. भूमि का प्रकार --- कृषि
2. वार्ड परगना --- चायल तहसील-चायल
3. मोहल्ला/ग्राम --- काजीपुर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) आ0नं0 22 मि0
5. मापन की इकाई --- हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल --- बिक्रित क्षेत्रफल --0. 134 हे0
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) -- कुछ नही
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि) --- कुछ नही
9. सम्पत्ति का प्रकार --- कृषि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति मे)--कुछ नही
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल --- कुछ नही

सुखलाल सुरेशचन्द KKTewari

(R)

नौशाद

क्र० ५०६ मूल्य 5000/- दिनांक 19.12.2005

नाम उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन 18 आकलैण्ड रोड शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

पुत्र/पत्नी स्व० शम्भु नाथ तिवारी

पता 1021/3 बैनीगंज

जिला इलाहाबाद

नि: शुल्क उजरत / मुक्ता योग शब्द

श्रीमती/श्री

पत्नी/पुत्र श्री

निवासी 18 आकलैण्ड रोड इलाहाबाद

ने कार्यालय उप निबन्धक

कौशाम्बी आज दिनांक 19.12.05

के मध्य मय छाया प्रति प्रस्तुत किया।

KKtewari

उप निबन्धक चायल 19.12.05

कौशाम्बी

लेख पत्र की संविदा सुनने व समझने के पश्चात प्रस्तुत प्रलेख का निष्पादन एवं

उक्त श्री

ने स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री

पुत्र श्री

निवासी

श्री

निवासी

ना कौशाम्बी ने की।

उप निबन्धक चायल 19.12.05

कौशाम्बी

सुरेशचन्द

KKtewari

योगेशकुमार

19.12.05

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOU[SAND RUP]EES

KKTewari

/2/

12 स्थिति – फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य –– कुछ नही

13 पेड़ो का मूल्यांकन –––– कुछ नही

14 बोरिंग/कुँआ/अन्य ––– कुछ नही

15. निर्मित क्षेत्रफल ––– कुछ नही

16. निर्माण का वर्ष ––– कुछ नही

17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है ––– नही

18. प्रतिफल की धनराशि –– मुबलिग– 3,00000/–रूपया

हम कि सुखलाल व सुरेश पुत्रगण रामदेव कौम पटेल निवासीगण ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के भारतीय नागरिक हैं एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के नही हैं –––प्रथमपक्ष विक्रेतागण ।

व

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन, 18 आक–

सुखलाल सुरेशचन्द KKTewari

नं० ५०७ मूल्य 1000 [illegible] 9/1/2009
द्वारा संचित कौशल कुमारी [illegible] देखा ।

लक्ष्मी नारायण [illegible]
लक्ष्मी नारायण [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] सं० 2

1000Rs.

/3/

लैण्ड रोड़ शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्रस्व० शम्भूनाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर-102 जी/3 बैनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ---- क्रेता द्वितीय पक्ष ।

विदित हो कि मुकिरान भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र मे दिया जा रहा है के मालिक काबिज दखील व संक्रमणीय भूमिधर हैं जो हर प्रकार के भार वप्रभार से सर्वथा मुक्त है मुकिरान को अपने निजी व्यय व खर्च खानगी आदि के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के रूपया मिलने की दूसरी सूरत दिखलाई नही पड़ रही है लिहाजा मुकिरान अपनी राजी व खुशी से बिला किसी के बहकाये वफुसलाये दुरूस्थ होश हवास मे स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवजमुबलिग- 3,00000/-रूपया (मुबलिग तीन लाख रूपया) जिसका आधा मुबलिग- 1,50,000/-रूपया (मुबलिग एक लाख पचास हजार रूपया) होता है बदस्त बहक उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन-18

सुखलाल सुरेशचन्द KKTewari

सं० ५०४ ...... मूल्य १०००) दिनांक ७।१२।०७

प्रकाशनार्थ .... द्वारा देखा।

लक्ष्मी नारायण देवरावी

लक्ष्मी नारायण देवरावी

[illegible]

राजकीय .... कौशाम्बी

सा० नं० २

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

आकलैण्ड रोड़ शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर-102 जी/3 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद के हाँथ बैंा व वय कामिल किया। खरीदार से हमें उपरोक्त विक्रय मूल्य मे मुबलिग एक लाख रूपया जरिये इकरारनामा दिनांक 20-10-2009 ई0 जो उपनिबंधक चायल जनपद कौशाम्बी के यहाँ पुस्तक संख्या एक खण्ड 482 के पृष्ठ संख्या-39/50 पर क्रम संख्या-1873/2009 ई0 पर रजिस्ट्रीकृत है के माध्यम सेप्राप्त हो गया शेष विक्रय मूल्य मुबलिग दो लाख-रूपया आज नकद घर पर प्राप्त हो चुका है। इस तरह से हमें कुल जरसमन मुबलिग तीन लाख रूपया प्राप्त हो चुका है अब क्रेता के जिम्मे हमारा कुछ भी बाकी नही रहा। यही तहरीर निसवत वसूलयावी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदा-गाना लिखने की जरूरत नही है। जायदाद बिकी हुई पर से हमने अपना कब्जा व दखल उठा लिया है और मिस्ल अपने मालिकाना तौर से क्रेता को काबिज व दखील करा दिया है अब बवजह लिख देने दस्तावेज हाजा बहक क्रेता जायदाद

सुरजलाल सुरेशचन्द KKTewari

पैशाल

(R)

[illegible] ५०७ ... मूल्य १०००) ... दिनांक १४।१२।७४

[illegible] द्वारा सचिव कौशलकुमार [illegible] हाथ बेचा ।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

[illegible]

[illegible] कौशाम्बी

[illegible] सं० 7

/5/

बिकी हुई मे हमारा व हमारे वारिसान व कायम मुकामान का कुछ भी हक व हिस्सा कब्जा व दखल बाकी नही रहा। आज की तारीख से जायदाद बिकी हुई का तनहा मालिक काबिज दखील व संक्रमणीयभूमिधर क्रेता हुआ उसको हक हासिल है कि बावत जायदाद बिकी हुई जो जो तसरूफात मालिकाना चाहे अमल मे लावे और नाम अपना दर्ज कागजात सरकारी करा लेवे अगर जायदाद बिकी हुई बवजह नुक्श मिलकियत या फेलबेजा हम मुकिरान या दावेदारी किसी दीगर सख्श के क्रेता के कब्जा व दखल से निकल जावे जिससे कि क्रेता का नुकसान व खिसाराहोवे तो ऐसी सूरत मे क्रेता को हक हासिल होगाकि वह अपना कुल जरसमन मय नुकसान व खिसारा हमारी जात व जायदादमनकूला व गैर मनकूला से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे इसमे मुकिरान व मुकिरान के वारिसान व कायम मुकामान को कोई उज्र व एतराज न होगा। बिक्रित भूमि कृषि भूमि है एवं संस्था प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। बिक्रित भूमि मे कोई निर्माण व दरख्त नही है। बिक्रित भूमि बिकसित क्षेत्र मे स्थित है। बिक्रित भूमि वक्फ, ट्रस्ट, नजूलसीलिंग , पट्टा व गाँवसभा की सम्पत्ति नही है। बिक्रित भूमि का आज

सुरेशचन्द KKlewal

पा० मूल्य 5.00 दिनांक १६।१२।८५

द्वारा हरिश्चन्द्र कौशल कुमार त्रिपाठी हाथ बेचा।

लक्ष्मीनारायण कोशलजी

लक्ष्मी नारायण कोषवाली

स्टाम्प विक्रेता

तहसील चायल कौशाम्बी

ला० सं० 2

06 NOV 2009
कौशाम्बी

/6/

के पूर्व कोई बैनामा नही हुआ है। बिक्रित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग से पाँच सौ मीटर से अधिक दूर है तथा लिंकमार्ग से भी सौमीटर से अधिक दूर है।इकरारनामा दि0 20-10-09 ई0 मे हम लोगो ने 0. 205 हे0का मुआहिदा वय तय किया था जबकि मुकिरान का कुल हिस्सा 0. 134 हे0 है।

लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद् रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

तफसील जायदाद मुबैया

हुकूक भूमिधरी वाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजी नम्बर-22 मि0 (बाईस मि0) रकबा-0. 205 हे0 (जीरो दशमलव-दो सौ पाँच हे0) बलगानी पाँच रूपया बीस पैसा सालाना मे मुकिरान का कुल हक व हिस्सा 0. 134 हे0 (जीरो दशमलवएक सौ चौतिस हे0) है जिसे मुकिरान अपना कुल का कुल विक्रय किया। मुकिरान का अब कोई भी अंश शेष नही बचा है। बिक्रित भूमि की चौहद्दी उत्तर- सीमा ग्राम क्यामउद्दीनपुर , दक्षिण- आराजी

सुखलाल सुरेशचन्द

[illegible] ५।। मूल्य ६००। [illegible] ७।१२।०७

[illegible] ग्रामपंचायत कौशल कुमारी [illegible] हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

तहसील [illegible] कौशाम्बी

ला० नं० 7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527315

/7/

नम्बर अठारह व इक्कीस है, पूरब- आराजी संख्या तेईस, चौबीस, पच्चीस है तथा पश्चिम- आराजी नम्बर ग्यारह है। बिक्रित भूमि बिकसित क्षेत्र मे स्थित है। बिक्रित भूमि की सरकारी मालियत दो सौ रूपया प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलिग दो-लाख अड़सठ हजार रूपया होती है किन्तु खरीदारी मुबलिग-3,00000/-रूपया (मुबलिग तीन लाख रूपया) होती है जिस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। चूँकि इकरारनामा दिनांक 20-10-2009 ई0 मे मुबलिग छ: हजार रूपया का स्टाम्प अदा किया गया है इसमे सौ रूपये की कटौती करते हुए मुबलिग उन्सठ सौ-रूपये का स्टाम्प विक्रय पत्र मे समायोजित किया जा रहा है। धारा 157 ए लागू नही होतीहै। उ0प्र0 स्टाम्पसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमावली 1997 के नियम 27 का अक्षरश: पालन किया गयाहै तथा प्रपत्र 6 तथ्यात्मक सत्य पर आधारित है। उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या स0वि0क0नि0 5-6328/11-2008-500 (165) / 2007 दिनांक दो जनवरी सन् 2009 के तहत स्टाम्प शुल्क अदा किया जाताहै। लेख-पत्र मे एवं संलग्न नजरी नक्शा मे जो तथ्य उल्लिखित कियागयाहै वह सत्य एवं सही है

सुखलाल सुरेशचन्द्र KKDewal

(R)

सोहनलाल

... ৫০ ... ৬।১২।০৫

... [illegible] द्वारा देखा।

লক্ষ্মী নারায়ণ গোস্বামী

लक्ष्मी नारायण गोस्वामी

[illegible]

[illegible]

क्र० सं० 2

नजरी नक्शा ग्राम काजीपुर परगना व तहसील- चायल
जिला- कौशाम्बी बाबत आराजी नम्बर 22 रकबा 0.205

सीमा बयामउद्दीनपुर

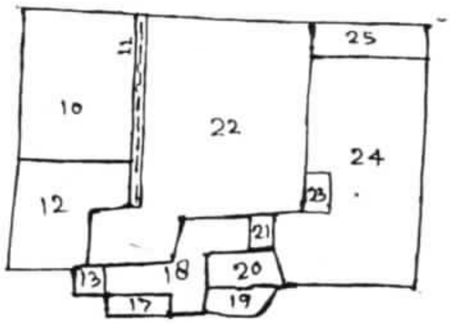

विक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग से पांच सौ मीटर से अधिक दूर है, लिंक मार्ग से भी सौ मीटर से अधिक दूर है कृषि भूमि है संस्था के प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रित भूमि मे कोई निर्माण वृक्ष नही है।

सुखलाल सुरेशचन्द्र KKlewal
KKlewal
सुखलाल सुरेशचन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 527316

/8/

और हमारी जानकारी मे है यदि इसमे कोई कमी पायी जाती है तो इसकी जिम्मेदारी हम मुकिरान व क्रेता की होगी एवं राजस्व की भरपाई करेगें।

गवाह नं0 1 :- योगेश कुमार पुत्र स्व0 राम कृपाल निवासी ग्राम हुसेनमऊ परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी। योगेश कुमार

गवाह नं0 2 :- शिवमूरत पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम उमरपुर तालुका सैयद सरांवा परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी। शिवमूरत

मसविदाकर्ता :- Dhara Singh Advocate (धारा सिंह एडवोकेट)

टाइपकर्ता :- Subhash Kumar (सुभाष कुमार)

दिनांक- 19-12-2009 ई0

मुन्नलाल सुरेशचन्द

KKTewari

पाउ 50 [illegible]

ग्राम सचिव कौशल कुमार [illegible] देखा ।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी
[illegible] केसरवानी
[illegible]
[illegible] कौशाम्बी
[illegible]

मुकदमा नम्बर 25 / 30-12-09 A.C.O. कौशाम्बी
ता० फैसला – 06-2-2010

दिनांक 19.12.08 को फोटो [illegible]
पुस्तक संख्या 1 [illegible] 493
पृष्ठ 125 [illegible] 23/6
140 [illegible]
[illegible] कौशाम्बी

[illegible]

[illegible]
19.12.08

I. 1873/2005 1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक ... पये ... OUSAND RUPEES

3 0... कौशाम्बी

सुखलाल सुरेश

इकरारनामा बिला कब्जा

हमकि सुखलाल व सुरेश पुत्रगण रामदेव निवासीगण ग्राम काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के भारतीय नागरिक हैं। एवं अनुसूचित जाति व अनु0जन जाति के नही हैं।

विदित हो कि मुकिरान भूमि निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र मे दिया जा रहा है के मालिक काबिज दखील व संक्रमणीयभूमिधर हैं जो हर प्रकार के भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त है मुकिरान को अपने निजी व्यय के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है सिवाय भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के रूपया मिलने की दूसरी सूरत नही दिखलाई पड़ रही है लिहाजा मुकिरान अपनी राजी व खुशी से बिला किसी के

सुखलाल सुरेश KKTewari

कौशल

क्र० 375 मूल्य 1000 दिनांक 20/10/09

नाम उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन 18 मार्कलैण्ड रोड इलाहाबाद

पुत्र/पत्नी सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शम्भुनाथ तिवारी

पता 102जी/3 बेनीगंज थाना व

तहसील सदर जिला इलाहाबाद

अनु० व० रु० 100000/-
Amt 100,000/-

लक्ष्मी नारायण शुक्ला

1000/- 20/- 20201 8a

रजि: शुल्क उजरत / प्रतिलिपि

श्रीमान / श्री कौशल कुमार तिवारी

पत्नी/पुत्र श्री पुत्र स्व० शम्भु नाथ तिवारी

निवासी मकान नं० 102जी/3 बेनीगंज मु० पुर इलाहाबाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

आज दिनांक 20/10/09 11/23

के मध्य मय छाया प्रति प्रस्तुत किया ।

KKtewari

उप निबन्धक सदर 20/10/09

लेखपत्र को ...

पश्चात् ... 1,00000/- लेखपत्र ...

प्राप्त ...

पूर्ण तथा ...

श्री सुरेन्द्र लाल व सुरेश कुमार पाण्डेय नि

कालीबाड़ी पाण्डेय ... विक्रेता व कौशल कुमार उपरोक्त

योगेश कुमार

पुत्र श्री हीरालाल

निवासी नि० ... मु० ... इलाहाबाद

श्री ...

श्री ...

साक्षी ...

की साक्षी ने की ।

उप निबन्धक सदर 20/10/09

सुरेन्द्रलाल सुरेश KKtewari योगेश कुमार

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

/2/

बहकाये व फुसलाये दुरुस्थ होश हवास मे स्वस्थ मन व बुद्धि से भूमि निम्नलिखित को बएवज मुबलिग-3,00000/-रु0 (मु0 तीन लाख रु0) जिसका आधा मुबलिग-1,50,000/-रु0 (मु0 एक लाख पचास हजार-रु0) होता है बदस्त बहक उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविऐशन 18 आकलैण्ड रोड़ शहर इलाहाबाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भूनाथ तिवारी निवासी मकान नम्बर 102 जी/3 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद के विक्रय का मुआहिदा वय तय किया और कुल जरसमन मे से मुबलिग-1,00000/-रुपया (मुबलिग एक लाख रुपया) बतौर जरबयाना पेशगी के प्राप्त कर लिया। शेष धनराशि मुबलिग-2,00000/-रुपया (मुबलिग-

0 376 मूल्य 1000 दिनांक 20/10/05

उत्थान द्वारा संचित कोशल सम्पादित ।

लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव

शिवमूरत

20/10/05

होते हैं

लिए गये ।

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

/3/

दो लाख रूपया) बरवक्त बैनामा प्राप्त होगा। हम लोग इकरार करते है कि आज की तिथि के छः माह के अन्दर जब क्रेता बाकी रकम का प्रबन्ध कर लेगा तथा मुकिरान राजस्व अभिलेखों को दुरूस्थ करवा लेगें तब क्रेता से बकिया रकम लेकर विक्रय की सारी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके क्रेता के पक्ष मे बैनामा रजिस्ट्री कर देगें। अगर

सुरखलाल सुरेश KKTewari

फैयाम (R)

सं० 377 मूल्य 1000 दिनांक 20/10/09

उत्थान द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी के हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

कचहरी [illegible] कौशाम्बी

ला० सं० 2

1000Rs.

/4/

बैनामा करने मे हीला हवाली करेगें तो ऐसी सूरत मे क्रेता को हक हासिल होगा कि वह हमसे जरिये अदालत बैनामा करवा लेगा । इसमे हमें व हमारे वारिसान व कायम मुकामान कोकोई उज़ व एतराज नही होगा। क्रेता को कब्जा व दखल बरवक्त बैनामा दिया जायेगा। इस लेख की पाबन्दी हमारे वारिसान व कायम मुकामान पर भी समान रूप से लागू होगी।

लिहाजा यह इकरारनामा बिला कब्जा के लिख दिया

सुखलाल सुरेश

क्र० 378 मूल्य 100/- दिनांक २०।१०।०९

नाम उत्थान द्वारा सचिव श्री कौशल कुमार तिवारी के हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण के हस्ताक्षर

लक्ष्मी नारायण ढकरवाल

स्टाम्प विक्रेता

तहसील [illegible]

ला० नं० 2

1000Rs.

/5/

कि सनद् रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

तफसील जायदाद माहिदावय

हुकूक भूमिधरी बाके मौजा काजीपुर परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजीसंख्या-22स ﴾बाईस स﴿ रकबा-0.205 हे0 ﴾जीरो दशमलव दो सौ पाँच हे0﴿ बलगानी पाँच रूपया बीस पैसा सालाना कुल का कुल विक्रय का मुआहिदा वय किया। जिसकीचौहद्दी पूरब-चकमार्ग, पश्चिम- जवाहर लाल आदि की भूमि, उत्तर-इसी-

सुखलाल सुरेश KKlewah

प्रेमराम

क्र० 379 मूल्य 1000 दिनांक 20/10/09

नाम उत्पानुद्वारा श्री चन्द्र कौशल कुमार के हाथ बेचा । तिवारी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

[illegible] कौशाम्बी

ला० नं० 2

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

/6/

कौशाम्बी

आराजी नम्बर का शेष रकबा जो क्रेता का है, दक्षिण- चिरौंजी लालआदि की जमीन है।

गवाह नं01 :- योगेश कुमार पुत्र श्रीराम कृपाल निवासी ग्राम हुसेनमऊ परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

योगेश कुमार

गवाह नं02 :- शिवमूरत पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम उमरपुर तालुका सैयद-सरांवा परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

शिवमूरत

मसविदाकर्ता :- Dhara Singh Advocate (धारा सिंह एडवोकेट)

टाइपकर्ता :- Subhash Kumar (सुभाष कुमार)

दिनांक- 20-10-2009 ई0

सुखलाल सुरेश KKTewari

फेशरम

[illegible] 380 मूल्य 1000/ दिनांक 20/10/09

[illegible] उत्पानद्वारा सौमित्र कौशल कुमार त्रिपाठी के हाथ बेचा।

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

लक्ष्मी नारायण केसरवानी

स्टाम्प विक्रेता

तहसील चायल कौशाम्बी

लाइ० सं० 2

चकबन्दी में रकबा 1340 का
नए नं० 20 ख में 1260
हो गया

आज दिनांक 20.10.09
प्रति पुस्तक संख्या I 482
के पृष्ठ 38/50 पर [illegible] 1073/2009
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया [illegible]
उप-निबंधक
चायल कौशाम्बी

प्रमाणित किया जाता है कि इसे
इकरारनामा के आधार पर
नाम [illegible]
विक्रय पत्र दिनांक 23/4/2009
से काटा गया है

[illegible]
19.12.[illegible]

कार्यालय तहसील चायल कौशाम्बी

Utthan Land for Vishnu Bhagwan Public School, Kajipur, Kaushambi

S No	Old No.	New No. Rakba as per Aakar patra 41	Rakba as per Khatoni	Rakba as per Registry	Land given for VBPS, Kajipur	Land purchased from
1	12/1	9 Ka – 0.1743	0.1743	0.2070	9 Ka – 0.1743	Jitendra Kumar S/o Mohan Lal & Bharat Bhushan S/o Roop Gram Chandra, Aaraji No. 12/1 – 0.2070 ha. Kajipur, Chail, Kaushambi, ACO Koilaha, Kaushambi case No. 17/ 07.09.09 order date 15.10.2009
2	12	9 Kha – 0.2416	0.2416	0.1440 0.1208	9 Kha – 0.2416	**1.** Ajay Kumar S/o Ramji & Smt Tara Gupta D/o Ramji, Aaraji No. 12 – 0.1440 ha. Gram Kajipur, Chail, Kaushambi, ACO Koilaha, Kaushambi case No. 26/ 30.12.09 order date 06.02.2010 **2.** Jawahar Lal S/o Jagannath R/o 36 SulemSarai, Allahabad, Araji No. 9 Kha – 0.1208 ha.Gram Kajipur, Chail, Kaushambi, Tarikh Registry 20.12.2011, Bookno. I, Khand 684, Page no. 199/220, Kramank 2675/2011, Mukadma No. 132/20.12.11 Tahsildar Chail, Date of Order 06.02.2012, Name transfer order entered in R-6 register page no 23, Sl. No. 21
3	13	10 – 0.0342	0.0342	0.0340	10 – 0.0342	Smt Rukhmania & Smt Khurmi D/o Beni Aaraji, No. 13 – 0.0340 ha. Gram Kajipur, Chail, Kaushambi, ACO Koilaha, Kaushambi case No. 23/ 23.12.09 order date 12.01.2010
4	17	15 Ka – 0.0340	0.0340	0.0340	15 Ka – 0.0340	Roshan Lal S/o Sarju, Aaraji No. 17 – 0.340 ha. Gram Kajipur, Chail, Kaushambi, ACO Koilaha, Kaushambi case No. 21/ 03.12.09 order date 12.01.2010
5	18/1 18/2	16 – 0.3195	0.3195	0.1600 0.1600	16 – 0.3195	**1.** Jitendra Kumar S/0 Mohan Lal & Bharat Bhushan S/O Roop Gram Chandra, Aaraji No. 18/1 – 0.1600 ha. Kajipur, Chail, Kaushambi, ACO Koilaha, Kaushambi case No. 17/ 07.09.09 order date 15.10.2009 **2.** Roop Chand S/o Kedhar Nath, Aaraji No. 18/2 – 0.1600 ha. Gram Gram Kajipur, Chail, Kaushambi, ACO Koilaha, Kaushambi case No. 20/ 16.09.09 order date 27.10.2009
6	22 Mi	20 Kha – 0.1902	0.1902	0.1340	20 Kha – 0.0340	Sukh Lal & Suresh Chandra S/o Ran Deo, Aaraji No. 22 Mi. – 0.1340 ha. Gram Kajipur, Chail, Kaushambi, ACO Koilaha, Kaushambi case No. 25/ 30.12.09 order date 06.02.2010
			0.9938	0.9938	0.8376	

UTTHAN-CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

Registered under Societies Registration Act XXI of 1860
Registration No. S-29394 of 1996
Registration No.136230098 under Foreign Contribution (Regulation) Act. 1976
Exempted Income Tax No 58-59/80G/Tech/Alld/99-2000
NATIONAL N.G.O.

Allahabad Office:
18-A, Auckland Road, Civil Lines
Allahabad-211001 (U.P.) INDIA

Tel. : 0532-2615847,2617952 (R)
0532-2420454, 2552226 (0)
Mobile : 09335154677
Fax : 0532-2420454

DR. D. N. TEWARI
PRESIDENT

DR. KAUSHAL KUMAR
GENERAL SECRETARY

Ref

Date..............................

RESOLUTION No. 59 DATED 30.11.2011

It was resolved to open a Vishnu Bhagwan Public School affiliated to C.B.S.E. board at Kazipur district Kaushambi in the session 2012-2013. The building constructed on the plot at Kazipur is exclusively used for Vishnu Bhagwan Public School as desired. Plot no. 12/1 - 9 Ka - 0.1743 ha., 12 - 9 Kha - 0.2416 ha., 13 – 10 - 0.0342 ha., 17 - 15 Ka - 0.0340 ha., 18/1 & 18/2 - 16 - 0.3195 ha.,22 Mi. - 20 Kha - 0.1902 ha. me se 0.0340 ha. total area 0.8376 ha. 8376 Sq. Mtr is exclusively for the use of V.B.P.S. Kazipur.

KKTewari

(Dr. Kaushal Kumar)
Secretary

नजरी नक्शा ग्राम काजीपुर परगना व तहसील- चायल
जनपद- कौशाम्बी

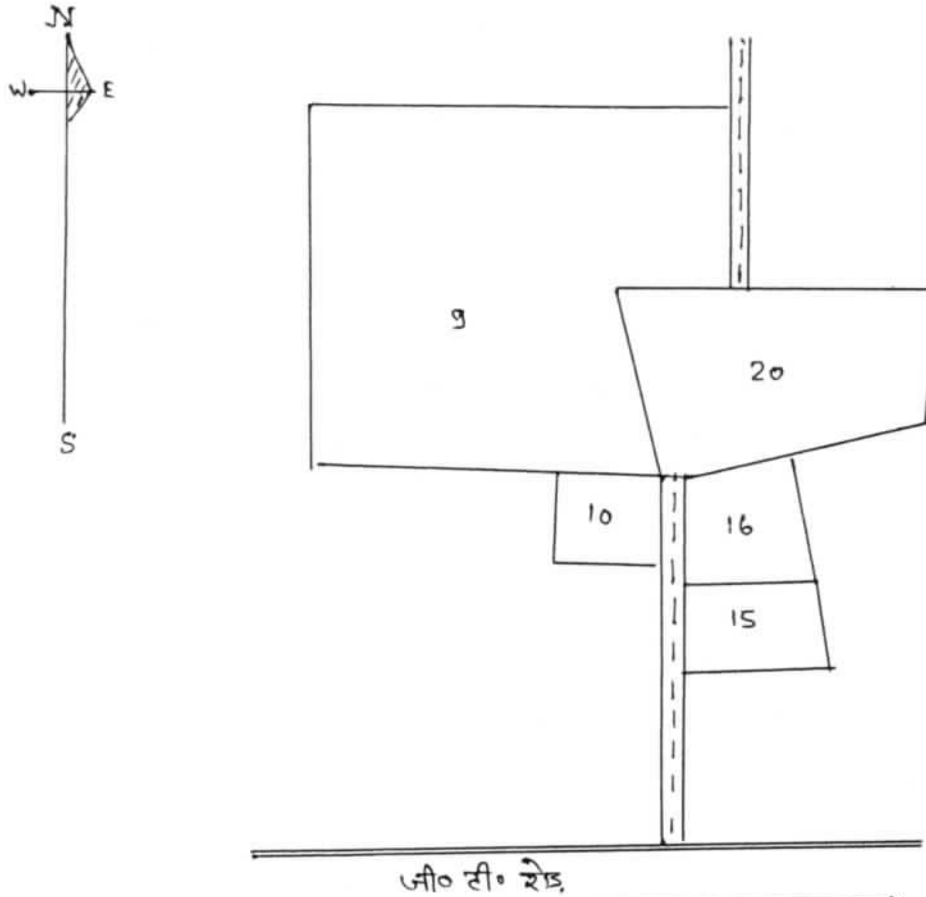

नई गाटा संख्या		पुरानी गाटा संख्या	नई गाटा संख्या	रकबा
बिल्डिंग	9 क	12	9 क	0.1743 हे०
	9 ख	12	9 ख	0.2416 हे०
	20 ख	22	20 ख	0.1260 हे०
	16	18	16	0.3195 हे०
बिल्डिंग	10	13	10	0.0342 हे०
	15	17	15	0.0340 हे०

नोट "केवल सरकारी कार्य हेतु"

15/7/17

अग्रसारित

तहसीलदार
कार्यालय
चायल कौशाम्बी

15/7/17